[2022] 2 एस. सी. आर 601

सैन्डोज़ प्राइवेट लिमिटेड

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2020 की सिविल अपील संख्या 3358)

4 जनवरी, 2022

[ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और

कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992: एफ़. टी. पी. 2009-2014-अध्याय 6 और 8-द्वारा भुगतान किए गए टी. ई. डी. के रिफंड के लिए दावा

डी. टी. ए. इकाई द्वारा निर्यात के लिए स्वीकृत वस्तुओं के निर्माण के लिए ई. ओ. यू. इकाई को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं पर डी. टी. ए. इकाई-आयोजितः यदि धनवापसी का दावा ई. ओ. यू. द्वारा किया जाता है, तो निर्दिष्ट डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता की गणना करके एफ. टी. पी. के तहत अधिकारियों द्वारा इसे संसाधित करने की आवश्यकता होती है।

टी. ई. डी. का भुगतान करके, यह केवल उन्हें दिए गए धनवापसी के लाभ का दावा कर सकता है। पैरा 8.4 के तहत डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता। 2 उस संबंध में डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से अस्वीकृति प्राप्त करने के अधीन, पैरा 8.3 (सी) और 8.8 के साथ पढ़ें और

अन्य औपचारिकताओं और आवश्यकताओं का पालन करना-चूंकि

केंद्र सरकार द्वारा 1992 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए एफ. टी. पी. के प्रावधानों से टी. ई. डी. प्रवाह की छूट और वापसी की पात्रता, जो 1944 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में प्रदान किए गए प्रावधानों की तुलना में एक स्वतंत्र व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना है। एफ. टी. पी. विषय को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण का दायित्व, संबंधित संस्थाओं के धनवापसी दावे से निपटने के लिए-क्योंकि, यह 1944 के अधिनियम या 2002 के नियमों या 2004 के नियमों के तहत धनवापसी का मामला नहीं है, बल्कि लागू एफ. टी. पी.-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत है। धारा 5 ए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002-केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2004।

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992: एफ़. टी. पी. 2009-2014-ई. ओ. यू. इकाइयाँ, जिन्होंने खरीद और आयात किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से निर्दिष्ट माल, इसके बिना ऐसा करने के हकदार हैं।

शुल्क का भुगतान [पैरा 6.2 (बी) के अनुसार] एफ. टी. पी. के पैरा 6.11 (सी) (2) के तहत इस तरह के दायित्व से छूट दी गई है, जिसे निर्यात माना जा रहा है-एफ. टी. पी. के पैरा 6.11 (ए) के तहत, ई. ओ. यू. अतिरिक्त रूप से केवल डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता का लाभ उठाने के लिए पात्र है जैसा कि एफ. टी. पी. के अध्याय 8 में निर्दिष्ट किया गया है। शर्त-यह ई. ओ. यू. की पात्रता का मामला नहीं होगा, बल्कि केवल डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए ई. ओ. यू. को दिया गया लाभ होगा, जिसे अन्यथा एफ. टी. पी. के पैरा 6.11 (सी) (ii) के संदर्भ में छूट दी गई थी और साथ ही पैरा 6.2 (बी) के तहत शुल्क के भुगतान के बिना उसी का आयात करने की बाध्यता थी।

शब्द और वाक्यांश - लाभ और हकदारी-के बीच अंतर-आयोजितः लाभ ", अपने स्वभाव से, एक लाभ है, मदद या सहायता, जबकि "हकदारी" कुछ पाने का अधिकार है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

तृतीय पक्ष (ई. ओ. यू.) द्वारा पूर्व शर्तों को पूरा करना। हालाँकि, धारा 5 ए की उप धारा (1 ए) को डब्ल्यू. ई. एफ. 13.05.2005 संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। यह शंकाओं को दूर करने के लिए था। यह. घोषणा की गई कि जहां किसी भी उत्पाद शुल्क के संबंध में उप-धारा (1) के तहत किसी भी उत्पाद शुल्क के पूरे शुल्क से पूरी तरह से छूट दी गई है, तो ऐसे उत्पाद शुल्क के निर्माता "ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे"। यह शर्त यह आदेश देती है कि निर्दिष्ट वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क देय नहीं है। हालांकि, यह शर्त तब लागू होगी जब उत्पाद शुल्क को शुरुआत से ही (बिना किसी पूर्व शर्त के) छूट दी जाती है। जो भी हो, शासी एफ़. टी. पी. व्यवस्था को 1992 के अधिनियम के तहत एक विशेष व्यवस्था होने के नाते प्रबल होना चाहिए। [पैरा 13] [622-डी; 623 ए-डी] सैन्डोज़ प्राइवेट लिमिटेड v.

2. एफ़. टी. पी. का प्रस्ताव रखने वाले अधिकारी स्पष्ट रूप से थे

1944 के अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्य के प्रति सचेत और

और विदेशी मुद्रा अर्जित करना। प्रासंगिक समय पर, नीति निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देकर वैश्विक व्यापार के कम से कम एक प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करना था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एफ. टी. पी. के तहत प्रदान की जाने वाली रियायतों और लाभों को प्रावधानों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है। 1944 की कराधान क़ानून और उसके तहत बनाए गए नियम। इसे संक्षिप्त रूप से रखने के लिए, 1992 के अधिनियम के तहत प्रावधान और

एफ़. टी. पी. को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और इस प्रकार यह पारस्परिक रूप से है।

इस संबंध में अनन्य। किसी भी अन्य दृष्टिकोण को अपनाना विपरीत उत्पादक होगा और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक उदार एफ. टी. पी. के निर्माण के पीछे के इरादे को कम करेगा। [पैरा 14] [623-डी-एफ]

3. एफ. टी. पी. विषय के तहत, अध्याय 6 ई. ओ. यू. एस. से संबंधित है,

निर्यात उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। एफ. टी. पी. के तहत लाभ प्राप्त करने या हक का लाभ उठाने के लिए किसी भी अपवाद के बिना निर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा इस दोहरी शर्त का पालन किया जाना चाहिए। एफ. टी. पी. के अध्याय 6 में कहा गया है कि डी. टी. ए. इकाइयों से ई. ओ. यू. को वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात माना जाना चाहिए, जैसा कि इससे स्पष्ट है। एफ. टी. पी. का पैरा 6.11। [पैरा 15,16] [623-जी; 624-सी, जी-एच; 625-ए] [2022] 2 एस. सी. आर.

4. खंड (ए) का प्रारंभिक भाग आपूर्तिकर्ता से संबंधित हैः

यह डी. टी. ए. इकाई से ई. ओ. यू. को आपूर्ति को निर्यात माना जाता है। इसके अलावा, मानित निर्यात के परिणामस्वरूप, डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता एफ. टी. पी. के अध्याय 8 के तहत निर्दिष्ट अधिकारों के लिए पात्र हो जाता है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, उसी अध्याय 6 में, एफ़. टी. पी. के अध्याय 8 के तहत डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता का भी उल्लेख किया गया है। यह प्रावधान एफ. टी. पी. के अध्याय 8 के तहत निर्दिष्ट अधिकारों का लाभ उठाने के तरीके से भी संबंधित है।

—

या तो डी. टी. ए. इकाई द्वारा या ई. ओ. यू. द्वारा, जो वस्तुओं और सेवाओं का प्राप्तकर्ता है। क्योंकि, इस शर्त के संदर्भ में ई. ओ. यू. भी उपयुक्त प्राप्त करने के बाद डी. टी. ए. इकाई की पात्रता के बदले में बताए गए लेनदेन के संबंध में धनवापसी का दावा कर सकता है।

डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से अस्वीकरण। दूसरे शब्दों में, खंड 6.11 [विशेष रूप से इसका खंड (ए)] डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता से संबंधित है, जिसका लाभ डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता स्वयं या ई. ओ. यू. द्वारा उठाया जा सकता है, जिसे उपयुक्त देने पर माल की आपूर्ति की गई थी।

उस संबंध में अस्वीकृति। [पैरा 16] [626-ए-डी]

5. पैरा 6.11 का खंड (ग) एक ऐसा प्रावधान है जिसमें कहा गया है -

ई. ओ. यू. का अधिकार। इसमें भारत में निर्मित वस्तुओं पर केंद्रीय बिक्री कर (सी. एस. टी.) की प्रतिपूर्ति; डी. टी. ए. से उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट शामिल है।

भारत में निर्मित वस्तुओं पर; डी. जी. एफ. टी. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वापसी दर के अनुसार घरेलू तेल कंपनियों/घरेलू तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के डिपो से खरीदे गए ईंधन पर भुगतान किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति; और अंत में, भुगतान किए गए सेवा कर पर सेनवैट क्रेडिट। जहां तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क का संबंध है, पैरा 6.11 (सी) (ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करता है।

भारत में निर्मित वस्तुओं पर डी. टी. ए. से ई. ओ. यू. द्वारा खरीदी गई वस्तुएँ। यह पैरा 6.2 (बी) में दी गई शर्त के अनुरूप है।

जो भविष्यवाणी करता है कि ई. ओ. यू. शुल्क के भुगतान के बिना डी. टी. ए. से वस्तुओं का आयात कर सकता है। [पैरा 17] [626-ई-जी]

6. अभिव्यक्ति के बीच स्पष्ट अंतर है

" लाभ "और" हकदारी "। "लाभ", अपने स्वभाव से, एक लाभ, सहायता या सहायता है, जबकि "पात्रता" का अधिकार है कुछ। अध्याय 6 के तहत, ई. ओ. यू. को सैन्डोज़ प्राइवेट लिमिटेड v के अधीन शुल्क के भुगतान के बिना डी. टी. ए. से निर्दिष्ट वस्तुओं का आयात करने का अधिकार है।

वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति सहित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना और निर्यात उत्पादन के लिए उपयोग किया जाना, जो ई. ओ. यू. से प्रारंभिक छूट का मामला है। पैरा 6.11 (ए) के रूप में प्रावधान केवल ई. ओ. यू. को एफ. टी. पी. के अध्याय 8 के तहत डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रताओं के संबंध में दावा करने में सक्षम बनाता है। एफ. टी. पी. के अध्याय 8 के तहत ई. ओ. यू. के लिए कोई अलग पात्रता नहीं है। इसे अलग तरीके से कहें तो, हालांकि पैरा 6.11 का शीर्षक "डी. टी. ए. से आपूर्ति के लिए हक" है और इसके खंड (ए) में परिकल्पना की गई है कि ई. ओ. यू. डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से एक उपयुक्त अस्वीकृति प्रस्तुत करने पर - एफ. टी. पी. के अध्याय 8 में निर्दिष्ट पात्रता प्राप्त करने के लिए पात्र होने के कारण यह ई. ओ. यू. की पात्रता नहीं है। हालाँकि, यह केवल ई. ओ. यू. को हस्तांतरित लाभ का मामला है।

एफ. टी. पी. के अध्याय 8 के तहत डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता। [पैरा 19] [627-ए-डी] 7. अध्याय 8 का शीर्षक "मानित निर्यात" है। मूल पैरा 8.1 में निर्दिष्ट किया गया है कि मानित निर्यात उन निर्यातों को संदर्भित करता है जो

जिन लेन-देनों में आपूर्ति की गई वस्तुएं देश नहीं छोड़ती हैं और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में या मुफ्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है। संशोधन के माध्यम से, यह आगे बशर्ते कि निर्दिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति (पैरा 8.2 में उल्लिखित) को निर्यात माना जाएगा बशर्ते कि

भारत में निर्मित। अध्याय 8 के पैरा 8.2 में निर्दिष्ट किया गया है -

8. पैरा 6.11 (ए) के संदर्भ में, ई. ओ. यू. एफ. टी. पी. के अध्याय 8 में निर्दिष्ट डी. टी. ए. के उन अधिकारों का भी लाभ उठा सकता है, जैसा कि किया गया था। डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के लिए निर्धारित किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि ई. ओ. यू. अपनी मर्जी से उन अधिकारों के लिए पात्र है, क्योंकि अन्य बातों के अलावा, यह डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से [2022] 2 एस. सी. आर. के रूप में अस्वीकरण प्राप्त करने के लिए बाध्य है।

ई. ओ. यू. को माल का आपूर्तिकर्ता जिसे निर्यात माना जाता है। यह अनिवार्य रूप से डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की एक पात्रता है-जैसा कि एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (ए), (बी) और (सी) में सूचीबद्ध है, जो लागू हो सकता है। यह देखा जाता है कि पैरा 8.4। 2 2012 के संशोधित एफ. टी. पी. द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें एक तालिका थी डाला गया। उस तालिका के अनुसार, पैरा 8.2 (बी) में ईओयू को आपूर्ति सहित आपूर्ति की निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए पैरा 8.2 के तहत उपलब्ध लाभों को पैरा 8.3 के तहत लागू किया गया था। [पैरा 22] [633-बी-सी; 634-ए]

10. एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (सी) के संदर्भ में टी. ई. डी./ड्रॉबैक की वापसी के लिए पात्रता प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट/छूट का लाभ न उठाने पर निर्भर है, जैसा कि मूल पैरा 8.5 में परिकल्पना की गई है। इसी तरह, डीम्ड एक्सपोर्ट ड्रॉबैक के संबंध में एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (बी) के तहत लाभ उठाया जा सकता है, बशर्ते डी. टी. ए. द्वारा सेनवैट क्रेडिट/छूट का लाभ नहीं उठाया गया हो।

आपूर्तिकर्ता और अन्य औपचारिकताओं का पालन करने के अधीन। पैरा 8.4।

2 सैन्डोज़ प्राइवेट लिमिटेड वी। भारत और अन्य का संघ

मूल रूप से, एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट ई. ओ. यू. को वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में केवल आपूर्तिकर्ता (डी. टी. ए.) को दिए गए विकल्प का संकेत है। 2012 के संशोधन के बावजूद यह मार्च 2013 तक बरकरार रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि

पैरा 8.5 में कहा गया है कि वस्तुओं की आपूर्ति केवल तभी टेड रिफंड के लिए पात्र होगी जब ऐसी वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट/छूट का लाभ नहीं उठाया गया हो। इन शर्तों से पता चलता है कि एफ. टी. पी. की योजना स्पष्ट है और न ही अस्पष्ट है और न ही संबंधित संस्थाओं के लाभों और अधिकारों के संबंध में मौन है। इस प्रकार, एक तर्क जिसमें लागू होने वाले के इरादे को विफल करने की क्षमता है

ई. ओ. यू. द्वारा उस लाभ को अध्याय 8 में निर्दिष्ट डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता से जोड़ा गया था। डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता पैरा 8.3 (सी) के आलोक में टी. ई. डी. से छूट प्राप्त ई. ओ. यू. को आपूर्ति की गई वस्तुओं के संबंध में टी. ई. डी. का धनवापसी (हकदार) ले सकता है। हालाँकि, टी. ई. डी. की वापसी की पात्रता को सीमित कर दिया गया है। औपचारिकताओं और आवश्यकताओं का पालन करने के लिए, पैरा 8 में उल्लिखित सहित। इसमें, माल प्राप्तकर्ता (ई. ओ. यू.) को सेनवैट क्रेडिट या छूट का लाभ नहीं मिलता है। इसी तरह, डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता निवेश/घटकों पर भुगतान किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (बी) के संदर्भ में डीम्ड एक्सपोर्ट ड्रॉबैक के लिए पात्र होगा।

सेनवैट क्रेडिट सुविधा/छूट का लाभ नहीं उठाया गया है। [पैरा 17] [635 एफ-एच; 636-ए-बी]

12. प्रासंगिक पैरा और इसके खंडों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एफ. टी. पी. विषय का उद्देश्य डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ताओं को पैरा 8.3 (सी) के संदर्भ में टी. ई. डी. का धनवापसी प्रदान करके प्रोत्साहित करना था, बशर्ते औपचारिकताओं को पूरा किया जा सके और

एफ. टी. पी. के अध्याय 8 में शर्तें। यह निवेश या [2022] 2 एस. सी. आर. के रूप में आपूर्ति की गई वस्तुओं के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा उत्पन्न करने के लिए भी था।

अन्यथा, अंततः ई. ओ. यू. द्वारा निर्यात किया गया। दूसरी ओर, ई. ओ. यू. केवल तभी डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता का लाभ उठा सकता है जब डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता ने छूट या सेनवैट क्रेडिट सुविधा (पैरा 8.5 के अनुसार) नहीं ली हो और इसे निर्यात माना गया हो। यह व्यवस्था नीति परिपत्र दिनांक 15.3.2013 जारी होने तक इसका समान रूप से पालन किया जाता था। यह परिपत्र इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि

डी. टी. ए. इकाई द्वारा ई. ओ. यू. को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं को मानित माना जाता है।

निर्यात, यह शुरू से ही उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट का अनुमान लगाता है। यह सच है कि एफ. टी. पी. विषय यह निर्धारित करता है कि ई. ओ. यू. शुल्क के भुगतान के बिना डी. टी. ए. या डी. टी. ए. में बंधुआ गोदामों या भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी से निर्दिष्ट वस्तुओं का आयात कर सकता है। लेकिन यह शर्त रखी गई है कि इस तरह से आयातित माल वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के साथ होगा और इसका उपयोग निर्यात उत्पादन के लिए किया जाएगा और इसके अलावा, टी. ई. डी. की छूट का लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता ने छूट नहीं ली हो या पैरा 8.5 में प्रदान की गई सेनवैट क्रेडिट सुविधा का उपयोग नहीं किया हो। यह उस समझ पर है, विभाग द्वारा धनवापसी अनुरोधों का मनोरंजन किया जा रहा था डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्व में किए गए टी. ई. डी. के धनवापसी के लिए जब तक कि नीति परिपत्र जारी नहीं किया जाता। इस मायने में, यह कम से कम डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के लिए शुरुआत से छूट नहीं थी। इसलिए, परिपत्र डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक नए आयाम का परिचय देता है। डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ताओं के लिए इस तरह के परिवर्तन को विदेश व्यापार के संयुक्त निदेशक के हस्ताक्षर के तहत एक नीति परिपत्र जारी करके पेश नहीं किया जा सकता है। एफ. टी. पी. को केंद्र सरकार द्वारा 1992 के अधिनियम की धारा 5 (प्रासंगिक समय पर लागू) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है, जिसे एफ. टी. पी. के पैरा 1.2 के साथ पढ़ा जाता है।

27.9.2009 से प्रभावी। [पैरा 26] [636-बी-डी; 637-ई एच; 638-ए-बी]

13. केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सहित, जैसा कि उसने मार्च, 2013 से पहले प्राप्त किया था

18.4.2013 मौजूदा एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (सी) और 8.4 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन करना, डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ताओं के लिए भौतिक रूप से अलग था। क्योंकि, ई. ओ. यू. के मामले में पैरा 6.11 (सी) (2) के साथ पठित पैरा 6.2 (बी) के आधार पर यह उनके लिए प्रारंभिक छूट नहीं थी। तदनुसार, इसे पूरी तरह से स्पष्ट करना आवश्यक हो गया

अनुच्छेद 8.3 (ग) और 8.4 में दिनांकित अधिसूचना 18.04.2013 के माध्यम से संशोधन करते हुए कहा गया है कि अब से इसे प्रारंभिक छूट के रूप में भी माना जाएगा।

डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के लिए। यह, वास्तव में, एक परिवर्तन या संशोधन है जो सैंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड v से प्रभावित है।

एफटीपी में। इस तरह के बदलाव को केवल संभावित रूप से दिए जाने की आवश्यकता है

प्रभाव, प्रत्यायोजित विधान द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। नीति परिपत्र डी. टी. ए. के निहित अधिकार को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। लागू एफ. टी. पी. के तहत आपूर्तिकर्ता। [पैरा 26] [638-बी-डी; 639-ए]

लागू एफ. टी. पी.। यदि रिफंड का दावा ई. ओ. यू. द्वारा किया जाता है, तो उसे एफ. टी. पी. के अध्याय 8 में निर्दिष्ट डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता की गणना करके एफ. टी. पी. के तहत अधिकारियों द्वारा संसाधित करने की आवश्यकता है, जो कि मानित निर्यात का मामला है। हालाँकि, ई. ओ. यू. अपने दम पर टी. ई. डी. की वापसी का हकदार नहीं है, क्योंकि ई. ओ. यू. के लिए अधिदेश वस्तुओं की खरीद या आयात करना है। डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से, पैरा 6.11 (सी) (ii) के साथ पठित पैरा 6.2 (बी) के संदर्भ में प्रदान की गई प्रारंभिक छूट को देखते हुए शुल्क के भुगतान के बिना। हालाँकि, ई. ओ. यू. पर इस तरह के स्पष्ट दायित्व के बावजूद, यदि ई. ओ. यू. ने डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से वस्तुओं का आयात किया है

टी. ई. डी. का भुगतान करते हुए, यह केवल पैरा 8.4 के तहत डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता को प्रदान किए गए धनवापसी के लाभ का दावा कर सकता है। 2 उस संबंध में डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से अस्वीकृति प्राप्त करने और अन्य औपचारिकताओं और आवश्यकताओं का पालन करने के अधीन, पैरा 8.3 (सी) और 8.8 के साथ पढ़ें। इस प्रकार, ई. ओ. यू. अपने दम पर टी. ई. डी. के रिफंड का दावा करने का हकदार नहीं है। हालाँकि, न्यायालय एक चेतावनी जोड़ता है कि ई. ओ. यू. एफ़. टी. पी. के अध्याय 8 में निर्दिष्ट डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के अधिकारों का लाभ इस शर्त पर उठा सकता है कि वह उस लाभ को बाद में डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता को वापस नहीं देगा। किसी भी मामले में, धनवापसी के दावे को सेनवैट क्रेडिट के धनवापसी/उत्पाद शुल्क दायित्वों की छूट की अंतर्निहित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए संसाधित करने की आवश्यकता है। यदि डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता या ई. ओ. यू. द्वारा उपयोग किए गए सेनवैट क्रेडिट को, जैसा भी मामला हो, भुनाया नहीं जा सकता है, तो राशि को नकद में वापस करने का कोई सवाल ही नहीं है। उस स्थिति में, समान राशि को नकद भुगतान करने के बजाय संबंधित संस्था के सेनवैट क्रेडिट खाते में वापस कर दिया जाना चाहिए।

एफ़. टी. पी. योजना के तहत डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता द्वारा धनवापसी के दावे की अनुमति है, यह नकद में हो सकता है यदि टी. ई. डी. का भुगतान नकद में किया गया हो। अन्यथा, यह डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के संबंधित खाते में अनुरूप सेनवैट क्रेडिट राशि के प्रत्यावर्तन के रूप में हो सकता है। [पैरा 27,28,29,30] [639-ए-बी; 640-ए-डी; 641-ए-डी]

15. डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के धनवापसी दावे के संबंध में, इसे एफ. टी. पी. के तहत अधिकारियों द्वारा संसाधित करने की आवश्यकता है।

एफ. टी. पी. विषय के अध्याय 8 में उल्लिखित शर्तों के उद्देश्य को ध्यान में रखें, जैसे कि ई. ओ. यू. को आयातित या आपूर्ति की गई वस्तुएं वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के साथ होंगी और उनका उपयोग निर्यात उत्पादन के लिए किया जाएगा और ई. ओ. यू. ने ई. ओ. यू. को आपूर्ति की गई वस्तुओं के संबंध में सेनवेट क्रेडिट या छूट का लाभ नहीं उठाया है। इसी तरह, यदि डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता ने सेनवैट क्रेडिट का उपयोग किया है, तो उसके अनुरूप भुगतान करें। राशि को उसके सेनवैट क्रेडिट खाते में वापस करने की आवश्यकता होती है, इस मामले में, डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता को नकद में राशि वापस करने का कोई सवाल ही नहीं है। [पैरा 31] [641-डी-एफ]

2015 (317) ई. एल. टी. 40; लेनोवो (इंडिया) प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ (2017) 346 ई. एल. टी. 12 (मैड.); मनाली पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बनाम। विदेश व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक, नई दिल्ली और ए. एन. आर. W.P.No। 23194 का

2009 , 16.9.2019 पर निर्णय लिया गया; भारत संघ बनाम। एल्सटॉम इंडिया लिमिटेड 2015 (325) ई. एल. टी. 72 (डेल.); केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली II बनाम। वेलस्पिंग यूनिवर्सल 2018

(359) ई. एल. टी. 635 (डेल.); दीपक एंटरप्राइजेज बनाम। भारत संघ 2018 (360) ई. एल. टी. 905 (दिल्ली); अल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ 2018 (363) ई. एल. टी. 69 (दिल्ली); मदरसन सुमी इलेक्ट्रिक वायर्स बनाम। भारत संघ 2018 (364) ई. एल. टी. 91 (दिल्ली); मल्टीटेक्स फिल्टरेशन इंजीनियर्स लिमिटेड v. भारत संघ 2020 (373) ई. एल. टी. 68 (दिल्ली); हिंदुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ 2020

(373) ई. एल. टी. 217 (डेल.); एसर इंडिया प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ 2018 (361) ई. एल. टी. 44 (कर.) 22 2001-अनुमोदित।

आई. एफ. जी. एल. रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड बनाम संयुक्त महानिदेशक

विदेशी व्यापार 2001 (132) ई. एल. टी. 545 (कैल.);

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त बनाम।

एन. बी. एम. सैंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड v. भारत और अन्य का संघ

उद्योग 2012 (276) ई. एल. टी. 9 (गुजरात); के आयुक्त

केंद्रीय उत्पाद शुल्क बनाम. शिल्पा कॉपर वायर इंडस्ट्रीज

2011 (269) ई. एल. टी. 17 (गुजरात); कंडोई मेटल पाउडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम संघ का भारत (2014) 303 ई. एल. टी. 209 (दिल्ली); विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक v. आई. एफ. जी. एल. रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड

2002 (143) ई. एल. टी. 294 (कैल.)-संदर्भित।

16. ई. ओ. यू. को वस्तुओं का डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता लागू पैरा 6.11 (ए) के साथ पैरा 8.3 (सी), 8.4 के आधार पर टी. ई. डी. की वापसी का हकदार होगा। 2 और एफ. टी. पी. का 8.8 विचाराधीन है। हालाँकि, धनवापसी का तरीका इस रूप में होना चाहिए -

17. अगला सवाल हैः धनवापसी का दावा किस प्राधिकरण के समक्ष किया जाना चाहिए? चूंकि छूट का अधिकार और केंद्र सरकार द्वारा 1992 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए एफ. टी. पी. के प्रावधानों से टी. ई. डी. प्रवाह की वापसी, जो 1944 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में प्रदान किए गए प्रावधानों की तुलना में एक स्वतंत्र व्यवस्था है।

निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना, यह संबंधित संस्थाओं के धनवापसी दावे से निपटने के लिए एफ. टी. पी. विषय को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण का दायित्व है। क्योंकि, यह 1944 के अधिनियम या 2002 के नियमों या 2004 के नियमों के तहत धनवापसी का मामला नहीं है, बल्कि लागू एफ. टी. पी. के तहत है। ई. ओ. यू. इकाइयाँ, जिन्होंने डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद और आयात किया था, वे शुल्क के भुगतान के बिना ऐसा करने के हकदार हैं [जैसा कि पैरा 6.2 (बी) में है] जिन्हें पैरा के तहत इस तरह के दायित्व से छूट दी गई है। 6.11 (ग) (ii) एफ. टी. पी. का, जिसे निर्यात माना जाता है। इसके अलावा, लागू एफ. टी. पी. के तहत ई. ओ. यू. की कोई अन्य पात्रता नहीं है। वास्तव में, एफ. टी. पी. के पैरा 6.11 (ए) के तहत, ई. ओ. यू. अतिरिक्त रूप से केवल अध्याय 8 [2022] 2 एस. सी. आर. में निर्दिष्ट डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के अधिकारों का लाभ उठाने के लिए पात्र है।

डी. टी. ए. से उपयुक्त अस्वीकरण प्रस्तुत करने पर एफ़. टी. पी.

आपूर्तिकर्ता और आवश्यक औपचारिकताओं और शर्तों के अनुपालन के अधीन। यह ई. ओ. यू. की पात्रता का मामला नहीं होगा, बल्कि केवल डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए ई. ओ. यू. को दिया गया लाभ होगा, जिसे अन्यथा एफ. टी. पी. के पैरा 6.11 (सी) (ii) के संदर्भ में छूट दी गई थी और साथ ही पैरा 6.2 (बी) के तहत शुल्क के भुगतान के बिना इसे आयात करने की बाध्यता थी। इसके अलावा, अगर डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के साथ-साथ ई. ओ. यू. ने अपने सेनवैट क्रेडिट का उपयोग किया था

विचाराधीन वस्तुओं के आयात के लिए, धनवापसी के रूप में होगी संबंधित संस्था के खाते में सेनवैट क्रेडिट की अनुरूप राशि का प्रत्यावर्तन। हालाँकि, यदि ई. ओ. यू. द्वारा टी. ई. डी. का भुगतान नकद में किया गया है, तो ई. ओ. यू. को लागू एफ. टी. पी. को लागू करने वाले प्राधिकरण से उस राशि का धनवापसी प्राप्त हो सकता है।

18. जहां तक ई. ओ. यू. को वस्तुओं के डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता का संबंध है, वह पैरा 8.3 (सी) के संदर्भ में टी. ई. डी. का धनवापसी प्राप्त करने का हकदार है। पैरा 8.4। 2 और लागू एफ. टी. पी. का 8.8 प्रतिशत आवश्यक औपचारिकताओं और उसमें प्रदान की गई शर्तों का पालन करने के अधीन है, जो मानित निर्यात का मामला है। यहां तक कि ई. ओ. यू. को वस्तुओं के डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के मामले में, यदि टी. ई. डी. का भुगतान सेनवैट क्रेडिट का उपयोग करके किया गया है, तो धनवापसी उसके सेनवैट क्रेडिट खाते में समान राशि के प्रत्यावर्तन के रूप में होगी। और यदि डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता द्वारा 1944 के अधिनियम के तहत अधिकारियों को टी. ई. डी. के लिए राशि का नकद भुगतान किया गया है, तो टी. ई. डी. राशि की वापसी प्राधिकरण द्वारा लागू एफ. टी. पी. को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज के साथ नकद में लागू करने के लिए पैरा 8.5 के अनुसार टी. ई. डी. की वापसी में देरी के लिए की जाएगी। 1 . [पैरा 44] [646-ए-सी]

19. दोनों ही मामलों में, लागू एफ. टी. पी. के संदर्भ में टी. ई. डी. की वापसी की जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी जो इसके लिए जिम्मेदार होगा -

1992 के अधिनियम के तहत एफ. टी. पी. को लागू करना, जिसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर ऐसे अधिकार/लाभ प्रदान किए हैं और विदेशी मुद्रा अर्जित करना। इसके अलावा, यह तथ्य कि संबंधित संस्था ने अधिकारियों को धनवापसी के लिए असफल आवेदन किया था

1944 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, जो सैंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड v.

भारत और अन्य का संघ

इसे टी. ई. डी. की वापसी प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं करता है एफ. टी. पी., जैसा कि पारस्परिक रूप से अनन्य उपचार के रूप में लागू हो सकता है। यह है।

इसलिए क्योंकि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि निर्धारिती अधिक लाभकारी व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है। [पैरा 45] [646-सी-ई]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.3358

2020 . 2015 की रिट याचिका No.2927 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.08.2016 से।

के साथ

2020 की सिविल अपील Nos.3359,3360 और 3705।

शर्मा, मो. अखिल, धनंजय महापात्रा, सुश्री सुनीता शर्मा, श्रीमती अनिल कटियार, बी. के. प्रसाद, टी. सुंदर रामनाथन, एम. पी. देवनाथ, अबीर रॉय, विवेक शर्मा, प्रशांत शिवदास, ईशान चक्रवर्ती, विवेक पांडे, रुपेश कुमार, आर. कृष्णन, राजीव शर्मा, सुश्री नीलम। शर्मा, सुश्री पंखुड़ी श्रीवास्तव, अलेक्जेंड्रा शर्मा, प्रवेश बहुगुणा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. इन चार अपीलों में से, पहली दो अपीलें 1 सामान्य निर्णय और 01.08.20162 द्वारा पारित आदेश से निकलती हैं।

बॉम्बे में उच्च न्यायालय 3 ने 2015 की रिट याचिका No.2927 और 2015 की रिट याचिका No.2926 में, जबकि तीसरी अपील 4 नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2017 की रिट याचिका (C) No.10526 में पारित 08.10.20185 के फैसले और आदेश से उत्पन्न होती है और चौथी अपील 2019 (T-TAR) की रिट अपील No.286 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित 09.12.20197 के फैसले और आदेश पर आधारित है।

1 सिविल अपील सं। 3358 और 2020 का 3359 2 2016 (341) ई. एल. टी. 22 (बम.)

3 संक्षेप में, "बॉम्बे उच्च न्यायालय" 4 2020 की सिविल अपील No.3360 5 2020 (373) ELT 217 (Del.) 6 2020 की सिविल अपील No.3705 72020 (371) ELT 658 (Kar.)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपील सं। 3358 2020 का

2 ए। 2020 की सिविल अपील No.3358 में अपीलार्थी का दावा है कि वे सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों के निर्माण में लगी हुई हैं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अनुसूची के अध्याय 30 के तहत आने वाली वस्तुएँ टैरिफ अधिनियम, 1985 और उस उद्देश्य के लिए, अपीलार्थी का प्लॉट No.8A/2,8B/2,8-8A/1/1, काल्वे, MIDC, दिघे, नवी मुंबई-400708 में एक कारखाना है। इसके अलावा, अपीलार्थी का एक और कारखाना स्थित है।

प्लॉट नं. एल-1, एम. आई. डी. सी., महाड, रायगढ़, घरेलू शुल्क क्षेत्र इकाई के भीतर। अपीलार्थी ने डी. टी. ए. में अपनी इकाई से खरीदे गए उत्पाद शुल्क के संबंध में अंतिम उत्पाद शुल्क 0 के रिफंड के लिए आवेदन किया था, जैसा कि उसने पहले किया था और 2006 और 2012 के बीच समय-समय पर रिफंड दिया गया था।

हालाँकि, तत्काल धनवापसी आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया, जो निर्णय इस न्यायालय के समक्ष अपील का विषय है। यह दावा किया गया था कि टी. ई. डी. का भुगतान डी. टी. ए. इकाई द्वारा किया गया था जहाँ से विचाराधीन माल की खरीद की गई थी या अपीलार्थी को उसके ई. ओ. यू. के लिए आपूर्ति की गई थी। प्रासंगिक अवधि। धनवापसी के लिए आवेदन दिनांक 20.04.2012 के साथ अपीलार्थी द्वारा दी गई घोषणा थी कि अपीलार्थी की डी. टी. ए. इकाई ने उस संबंध में डी. टी. ए. इकाई द्वारा दिए गए अस्वीकरण प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित टी. ई. डी. धनवापसी के लाभ का दावा नहीं किया था। पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर धनवापसी आवेदन पर निर्णय लेना आवश्यक था।

चूंकि इसका निपटारा नहीं किया गया था, इसलिए अपीलार्थी ने विकास आयुक्त से हस्तक्षेप करने और आवश्यक कार्य करने का अनुरोध किया। जुलाई 2012 और सितंबर 2012 के बीच की अवधि के लिए धनवापसी का दावा लगभग था

रु. 1,90,47,437/- (एक करोड़ नब्बे लाख चालीस-सात हजार चार सौ सैंतीस-केवल) और अक्टूबर 2012 और दिसंबर 2012 के बीच की अवधि के लिए, यह रु. 1,36,04,814 / - (केवल एक करोड़ तीस-छह लाख चार हजार आठ सौ चौदह रुपये)। 2 बी। इस बीच, विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा यह स्पष्ट करने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया, जो कथित तौर पर नीति परिपत्र संख्या 16 (आर. ई.-2012/2009-14) दिनांक 15.03.2013[11] है।

8 संक्षेप में, "ईओयू" 9 संक्षेप में, "डी. टी. ए. इकाई" 10 संक्षेप में, "टेड"

" संक्षेप में 1, संक्षिप्त में "आक्षेपित परिपत्र" 12, "डीजीएफटी"

सैंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड v. भारत और अन्य का संघ

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट। विकास आयुक्त ने अंततः अपीलार्थी द्वारा निर्धारित धनवापसी के दावे को खारिज कर दिया और उस संबंध में अपीलार्थी को दिनांकित 01.04.2013 पत्र के माध्यम से सूचित किया।

2 सी। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी ने 2013 की रिट याचिका No.9312 दायर की

डी. जी. एफ. टी. द्वारा जारी नीति परिपत्र की वैधता और वैधता को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और विकास आयुक्त के दो संचारों ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धनवापसी आवेदन को खारिज कर दिया। 2 डी। इस बीच, डी. जी. एफ. टी. द्वारा 18.04.2013[1]3 पर सं. 4 (आर. ई.-2013)/2009 2014 वाली अधिसूचना जारी की गई।

विदेश व्यापार नीति में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन,

2009-20141 4 विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग।

2 एफ. रिमांड आदेश के अनुसार, विकास आयुक्त ने व्यक्तिगत सुनवाई की, लेकिन अंततः टेड रिफंड के दावे को खारिज कर दिया। अपीलार्थी का आदेश सं. SEEPZ-SEZ/W. P./TED/SANDOZ/314/2013-14 दिनांकित 06.01.2015।

2 जी। इस निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 2015 की नई रिट याचिका दायर की

विकास आयुक्त द्वारा पारित नीति परिपत्र दिनांक 15.03.2013 और आदेश दिनांक 06.01.2015। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कथित नीति परिपत्र के साथ-साथ विकास आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी और इस प्रकार, विवादित निर्णय और दिनांक 01.08.2016 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका को खारिज कर दिया। यह निर्णय 2020 की सिविल अपील No.3358 में चुनौती का विषय है। इसी निर्णय द्वारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2020 की सिविल अपील No.3359 में अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें स्वयं इसी मुद्दे को शामिल किया गया था।

13 संक्षेप में, "कहा गया अधिसूचना" 14 संक्षेप में, "एफ़. टी. पी".

1 5 संक्षेप में, "1992 अधिनियम" [2022] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपील सं। 3359 2020 का

डी. टी. ए इकाई। अपीलार्थी दावा करता है कि अतीत में भी उसने अपीलार्थी के ई. ओ. यू. को आपूर्ति किए गए सामान पर अपनी डी. टी. ए. इकाई द्वारा भुगतान किए गए टी. ई. डी. के धनवापसी का दावा किया था और इसे विकास आयुक्त द्वारा प्रदान किया गया था। हालाँकि, इस अवसर पर, नवंबर 2011 के महीने के लिए TED रिफंड के लिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विषय आवेदन दिनांक 08.08.2012 के संबंध में एक अलग दृष्टिकोण लिया गया था। छह करोड़ अस्सी-सात लाख अस्सी-नौ हजार सात सौ तीस-सात ही)। अपीलार्थी को कोई अवसर दिए बिना, डी. जी. एफ. टी. द्वारा जारी नीति (आक्षेपित) परिपत्र के आलोक में दावा खारिज कर दिया गया।

3 बी। व्यथित महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने वैधता और वैधता को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 की रिट याचिका दायर की

नीति परिपत्र दिनांक 15.03.2013। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धनवापसी आवेदन पर एक बोलने का आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देकर उस याचिका का निपटारा किया गया था। रिमांड आदेश के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई दी और एक बार फिर टी. ई. डी. रिफंड दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलार्थी ने अपनी डी. टी. ए. इकाई से ई. ओ. यू. को संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति प्राप्त की थी, जिन्हें शुरू से ही छूट दी गई थी। विदेश व्यापार नीति, 2009 2014 के पैरा 6.11 (ग) (ii) के तहत शुल्क का भुगतान। इस प्रकार, अपीलार्थी को धनवापसी स्वीकार्य नहीं थी।

3 सी। इस निर्णय को अपीलार्थी द्वारा 2015 की नई रिट याचिका No.2926 के माध्यम से बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

जिसमें डी. जी. एफ. टी. द्वारा जारी नीति परिपत्र दिनांक 15.03.2013 को भी चुनौती दी गई थी। इस रिट याचिका की सुनवाई और निर्णय बॉम्बे हाई सैंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड v द्वारा किया गया था।

भारत और अन्य का संघ

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

अदालत, एक अन्य रिट याचिका के साथ (जो सैंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर साथी अपील में विषय वस्तु है) सामान्य निर्णय और दिनांक 01.08.2016 के आदेश के माध्यम से, हमलावर को नीति परिपत्र और ऊपर निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए। यह निर्णय 2020 की सिविल अपील संख्या 3359 में चुनौती का विषय है।

इस बात में कोई संदेह न रखें कि उत्पाद शुल्क के भुगतान पर ई. ओ. यू. द्वारा खरीदे जाने के बावजूद, उत्पाद शुल्क के संबंध में पैरा 8.3 (सी) के तहत डी. जी. एफ. टी. के समक्ष धनवापसी का अनुरोध कानूनी रूप से अस्वीकार्य होगा। 5. बंबई उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि हालांकि अतीत में क्षेत्रीय प्राधिकरण ने ई. ओ. यू. के धनवापसी अनुरोध को स्वीकार कर लिया था, लेकिन यह ई. ओ. यू. में किसी भी कम निहित अधिकार को प्रदान नहीं कर सकता है ताकि एफ. टी. पी. के प्रावधानों के विपरीत कार्य करने के लिए संबंधित वैधानिक अधिकारियों को आदेश जारी किया जा सके। वास्तव में, ई. ओ. यू. द्वारा विचार किए गए संदेह को दूर करने के लिए, सरकार द्वारा दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से स्थिति को दोहराया गया था।

18.04.2013 [2022] 2 एस. सी. आर. की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में जारी किया गया।

1992 एक्ट करें। सार में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि विवादित परिपत्र केवल यह दोहराने और स्पष्ट करने के लिए था कि डी. जी. एफ. टी. का प्राधिकरण धनवापसी आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं था; और यदि ई. ओ. यू. या आपूर्तिकर्ता ऐसा चाहते हैं, तो सक्षम उत्पाद शुल्क अधिकारियों के समक्ष धनवापसी का दावा करने के लिए स्वतंत्र थे, जहां शुल्क के लिए राशि जमा की गई थी या भुगतान किया गया था।

2020 का नागरिक आवेदन NO.3360

6 ए। भारत संघ की यह अपील उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 08.10.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश पर आधारित है।

2017 की रिट याचिका (सी) संख्या 10526 में दिल्ली सरकार की ओर से। उस रिट याचिका के माध्यम से, विभिन्न ई. ओ. यू. एस. को उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का "आपूर्तिकर्ता" होने का दावा करने वाले प्रतिवादी, जिन्होंने बदले में भारत के बाहर अपने अंतिम उत्पाद का निर्यात किया, ने डी. जी. एफ. टी. के खिलाफ ई. ओ. यू. (विमल एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) को किए गए मानित निर्यात के लिए Rs.46,54,295 रुपये (केवल चालीस-छह लाख पचास-चार हजार दो सौ नब्बे रुपये) की राशि में टी. ई. डी. धनवापसी देने का निर्देश देने की मांग की। लिमिटेड और टाटा कॉफी लिमिटेड)। ये आपूर्ति जनवरी 2012 और मार्च 2013 के बीच की गई थी और निश्चित रूप से विवादित परिपत्र जारी होने से पहले की गई थी।

6 बी। प्रतिवादी-कंपनी (डी. टी. ए. इकाई) ने विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक के समक्ष धनवापसी आवेदन दायर किया था, जो

उस उपाय को समाप्त करते हुए और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत वैधानिक अधिकारियों के निर्णय को अंतिम रूप में अनुमति देते हुए, प्रतिवादी-कंपनी एफ. टी. पी. के तहत टी. ई. डी. राशि के संबंध में धनवापसी आवेदन पर विचार करने के लिए डी. जी. एफ. टी. के खिलाफ निर्देश की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने का फैसला किया। यह आग्रह किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा भुगतान की गई टी. ई. डी. राशि को वापस करने की प्राथमिक जिम्मेदारी-कंपनी (डी. टी. ए. इकाई) जो ई. ओ. यू. को उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की आपूर्तिकर्ता है, डी. जी. एफ. टी. की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.10.2018 के विवादित फैसले के माध्यम से रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और डी. जी. एफ. टी. को प्रतिवादी-कंपनी द्वारा दायर धनवापसी आवेदन पर विचार करने का निर्देश जारी किया और यदि आदेश में पाया जाता है, तो टी. ई. डी. के धनवापसी का निर्देश दिया।

प्रत्यर्थी को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ राशि। 16 संक्षेप में, "द सी. ई. एस. टी. ए. टी". 17 संक्षेप में, "1944 एक्ट" सैंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड v.

भारत और अन्य का संघ

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनिवार्य रूप से कंडोई मेटल पाउडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया।

बनाम भारत संघ, जिसने बदले में विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक बनाम आई. एफ. जी. एल. रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया था, अपने इस विचार को सुदृढ़ करने के लिए कि विभाग द्वारा लागू किए गए विवादित परिपत्र का केवल संभावित प्रभाव था। इसने यह भी नोट किया कि कंडोई मेटल पाउडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 0 नीति व्याख्या समिति द्वारा अपने दिनांक 04.12.2012 के निर्णय के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण से चिंतित थी कि सेनवैट क्रेडिट प्रावधानों की वापसी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उपलब्ध थी। रिफंड का दावा करने के बजाय इसका लाभ उठाया जाना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया कि डी. जी. एफ. टी. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि प्रत्यर्थी 1944 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत धनवापसी का लाभ उठा सकता है, कानून में असमर्थनीय था। तथ्यों पर, इसने नोट किया कि चूंकि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की आपूर्ति 15.03.2013 से पहले थी, इसलिए आह्वान करने का सवाल था

प्रत्यर्थी के खिलाफ परिपत्र-कंपनी उत्पन्न नहीं हुई। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने कहा कि धनवापसी आवेदन को संसाधित किया जाना चाहिए था एफ़. टी. पी. के पैरा 8.3 (सी) के संदर्भ में डी. जी. एफ. टी., जैसा कि यह 15.03.2013 से पहले था। तदनुसार, रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने

अपीलार्थी (डी. जी. एफ. टी.) को प्रत्यर्थी के धनवापसी आवेदन पर विचार करने और 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ देय राशि वापस करने का निर्देश जारी किया।

2020 का नागरिक आवेदन NO.3705

7. भारत संघ की यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांकित 09.12.2019 के फैसले के खिलाफ है।

2019 की रिट अपील No.286 (टी-टीएआर)। उक्त अपील अपीलार्थी-भारत संघ द्वारा एसर इंडिया प्राइवेट में उसी उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांकित 20.3.20182[1] के फैसले के खिलाफ अंतर-अदालत अपील के माध्यम से दायर की गई थी। लिमिटेड बनाम। भारत संघ [2016 (टी-टी. ए. आर.) की रिट याचिका No.64539] जिसमें प्रतिवादी-कंपनी-जो टी. ई. डी. के भुगतान पर सौ प्रतिशत ई. ओ. यू. एस. को कंप्यूटर प्रणालियों के निर्माण और बिक्री और वस्तुओं की आपूर्ति के व्यवसाय में शामिल होने का दावा करती है, ने एक घोषणा की मांग की थी कि वह टी. ई. डी. राशि की वापसी के लिए पात्र है।

18 (2014) 302 ई. एल. टी. 209 (डेल.) 1 9 2002 (143) ई. एल. टी. 294 (कैल.) 20 फुटनोट पर ऊपर No.18

21 2018 (361) ई. एल. टी. 44 (कर.)

22] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 के संदर्भ में अक्टूबर 2009। कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आई. एफ. जी. एल. रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड बनाम विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक 22 (बाद में उसी उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक में पुष्टि की गई) और दिल्ली उच्च न्यायालय के कंडोई मेटल पाउडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार जब वस्तुओं की आपूर्ति मानित निर्यात की श्रेणी में आती है, तो इकाई टी. ई. डी. की वापसी की हकदार होगी। लर्नड सिंगल जज ने लेनोवो (इंडिया) प्राइवेट में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को भी स्वीकार किया। लिमिटेड बनाम। भारत संघ 25 और सैंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए जो में आक्षेपित है

ऊपर उल्लिखित संज्ञानात्मक अपीलें। हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अलग किया गया है, लेकिन फिर यह कहा गया कि यह सहमत नहीं है।

एफ. टी. पी. में संशोधन को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ। इसके बजाय, विद्वान एकल न्यायाधीश ने राय दी कि 15.03.2013 दिनांकित नीति परिपत्र, बिना किसी मानक के, प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक था। परिणामस्वरूप, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और यह तय करने में प्रसन्न हुए

प्रत्यर्थी-कंपनी (डी. टी. ए. इकाई) के धनवापसी दावे को अस्वीकार करते हुए, विदेश व्यापार के उप निदेशक द्वारा जारी दिनांक 31.03.2016 के संचार को एक तरफ कर दिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उस आदेश को दरकिनार करते हुए प्रत्यर्थी-कंपनी को नीति के अनुसार प्रत्यर्थी के धनवापसी दावे पर विचार करने के लिए एफ़. टी. पी. के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भेज दिया। डिवीजन बेंच ने विभाग द्वारा दायर अपील पर विचार करते हुए, विवादित फैसले में कहा कि प्रतिवादी कंपनी ने जून 2009 से अक्टूबर 2009 तक टी. ई. डी. के भुगतान पर ई. ओ. यू. को कंप्यूटर सिस्टम की आपूर्ति की थी, जिसे एफ. टी. पी. के संदर्भ में, विशेष रूप से पैरा 8.2 (बी) में, निर्यात माना गया था-जो प्रतिवादी को डी. जी. एफ. टी. के क्षेत्रीय प्राधिकरण से टी. ई. डी. के रिफंड का दावा करने का अधिकार देता है।

एफ. टी. पी. का पैरा 8.3 (सी)। कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राय दी कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार में कोई कमजोरी नहीं थी, जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी को उस राशि को बनाए रखने के लिए नहीं सुना जा सकता है जो कर के रूप में देय नहीं थी क्योंकि यह मान लिया गया मामला है।

22 2001 (132) ई. एल. टी. 545 (कैल.) 23 फुटनोट पर उपर्युक्त No.19 24 फुटनोट No.18 25 (2017) 346 ELT 12 (मैड।)

सैंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड v. भारत और अन्य का संघ

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

निर्यात करें। रुपये की राशि के रूप में। 1,04,36,945 (रुपया एक करोड़ चार लाख

छत्तीस-छह हजार नौ सौ पैंतालीस) प्रतिवादी-कंपनी द्वारा गलत तरीके से भुगतान किया गया था, उसी को वापस करने की आवश्यकता थी और इसलिए, एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी कंपनी को एफ. टी. पी. के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस पर विचार करने के लिए खारिज कर दिया। वापसी का दावा।

8. हमने श्री अरविंद दातार, श्री जय सावला, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री प्रकाश शाह, विद्वान वकील की ओर से पेश होते हुए सुना है। निर्धारिती द्वारा की गई अपीलों में अपीलकर्ता, श्री बलबीर सिंह, विभाग के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल; और श्री जी.

शिवदास, प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील-निर्धारिती (रिट याचिकाकर्ता), विभाग द्वारा अपील में।

समन्वय

10. सवाल यह है कि क्या यहाँ की संस्थाएं निर्दिष्ट के संबंध में टी. ई. डी. के लिए कथित रूप से राशि की वापसी की हकदार हैं जैसा भी मामला हो, खरीदी गई या आपूर्ति की गई वस्तुओं को निर्यात माना जा रहा है और लागू विदेशी व्यापार नीति (एफ़. टी. पी.) या 1944 के अधिनियम के तहत किस प्राधिकरण से? इसके अलावा, क्या सर्कुलर No.16 (RE-2012/2009-14) दिनांकित <ID2 केवल TED रिफंड और छूट और इसकी प्रभावकारिता के बारे में स्पष्टीकरण है?

11. संबंधित संस्थाओं की टी. ई. डी. राशि की वापसी का दावा जो प्राप्तकर्ता या निर्दिष्ट वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता है, जैसा भी मामला हो सकता है। लेन-देन की प्रकृति और 1992 के अधिनियम और 1944 के अधिनियम के तहत प्रस्तावित संबंधित कानूनों, अर्थात् एफ. टी. पी. के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संदर्भ में, इसे दो व्यापक रूप से समझने और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हम उचित स्थान पर इस पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हो जाए।

ध्यान दिया कि संबंधित अपीलों में धनवापसी का दावा जून 2009 और मार्च 2013 (यानी 2020-जुलाई 2012 की सिविल अपील No.3358 और दिसंबर 2012) के बीच भिन्न होता है। सिविल अपील 2020-नवंबर [2022] 2 एस. सी. आर.

2011 ; 2020-जनवरी 2012 और मार्च 2013 की सिविल अपील No.3360 और 2020-जून 2009 और अक्टूबर 2009 की सिविल अपील No.3705)।

12. शुरुआत में, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि सभी संस्थाओं में

ये मामले एफ़. टी. पी. पर आधारित धनवापसी का दावा कर रहे हैं न कि 1944 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों, विशेष रूप से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 2,6 और सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 2,7 के प्रावधानों के संदर्भ में।

13. यदि यह 1944 के अधिनियम के तहत शुल्क की वापसी का दावा था, तो

यह उस अधिनियम की धारा 11 बी में वर्णित शासन द्वारा शासित होगा। 2002 के नियमों के नियम 2 (ई) में "कर्तव्य" शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ 1944 के अधिनियम की धारा 3 के तहत देय शुल्क है। 1944 के अधिनियम की धारा 3 में परिकल्पना की गई है कि चौथी अनुसूची में निर्धारित दरों पर भारत में उत्पादित या निर्मित सभी उत्पाद शुल्क (विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादित या निर्मित वस्तुओं को छोड़कर) पर उत्पाद शुल्क निर्धारित किया जाएगा जिसे केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) कहा जा सकता है। 1944 के अधिनियम की धारा 5 ए 28 का उल्लेख करना उचित हो सकता है। यह केंद्र सरकार को निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क से छूट देने का अधिकार देता है। शक्ति का प्रयोग 26 संक्षेप में, "2002 नियम"

27 संक्षेप में, "2004 नियम" 28 5 ए। उत्पाद शुल्क से छूट देने की शक्ति। — (1) यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आम तौर पर या तो पूरी तरह से या ऐसे प्रावधानों के अधीन छूट दे सकती है।

(हटाने से पहले या बाद में पूरी की जाने वाली) शर्तें जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती हैं, किसी भी निर्दिष्ट विवरण के उत्पाद शुल्क के पूरे या उस पर देय उत्पाद शुल्क के किसी भी हिस्से सेः

बशर्ते कि, जब तक कि ऐसी अधिसूचना में विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, उसमें कोई छूट नहीं है

(i) किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादित या निर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाई जाने वाली उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं पर लागू होगा; या

((ii) सौ प्रतिशत। निर्यात उन्मुख उपक्रम और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया गया।

स्पष्टीकरण। इस प्रावधान में "मुक्त व्यापार क्षेत्र", "विशेष आर्थिक क्षेत्र" और "सौ प्रतिशत" शामिल हैं। "निर्यातोन्मुख उपक्रम" के वही अर्थ होंगे जो धारा 3 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में हैं।

(1 - ए) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां किसी भी उत्पाद शुल्क के संबंध में उप-धारा (1) के तहत किसी भी उत्पाद शुल्क के पूरे शुल्क से पूरी तरह से छूट दी गई है, तो ऐसे उत्पाद शुल्क का निर्माता ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करेगा।

(जोर दिया गया)

सैंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड v. भारत और अन्य का संघ

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

छूट देना एक लाभकारी शक्ति है-जो केंद्र सरकार को सक्षम बनाती है

ऐसी शर्तों पर निर्दिष्ट वस्तुओं पर शुल्क को कम करना या माफ करना जो निर्धारित की जाए। छूट अधिसूचना में वैधानिक बल है। हालांकि, निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माता (डी. टी. ए. इकाई सहित) छूट के लाभ की अवहेलना करने के लिए स्वतंत्र हैं। तृतीय पक्ष (ई. ओ. यू.) द्वारा पूर्व शर्तों को पूरा करना। लेकिन, धारा 5 ए की उप-धारा (1 ए) को डब्ल्यू. ई. एफ. 13.05.2005 संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। यह शंकाओं को दूर करने के लिए था। इसने घोषणा की कि जहां किसी भी उत्पाद शुल्क के संबंध में उप-धारा (1) के तहत उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

बिल्कुल, ऐसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का निर्माता "ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करेगा"। यह शर्त यह आदेश देती है कि निर्दिष्ट वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क देय नहीं है। हालांकि, यह शर्त तब लागू होगी जब उत्पाद शुल्क को शुरुआत से ही छूट दी जाती है (बिना किसी पूर्व सूचना के)।

स्थिति)। जो भी हो, शासी एफ़. टी. पी. व्यवस्था को 1992 के अधिनियम के तहत एक विशेष व्यवस्था होने के नाते प्रबल होना चाहिए।

14. एफ़. टी. पी. का प्रस्ताव रखने वाले अधिकारी स्पष्ट रूप से 1944 के अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के उद्देश्य से अवगत थे।

इसके नीचे। इसके बावजूद, विषय नीति को निर्यात को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ प्रस्तावित किया गया था। प्रासंगिक समय पर, नीति निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देकर वैश्विक व्यापार के कम से कम एक प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करना था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एफ. टी. पी. के तहत प्रदान की जाने वाली रियायतों या कहने के लिए, लाभों और हकों को सीमित नहीं किया जा सकता है 1944 के कराधान कानून के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम। इसे संक्षिप्त रूप से रखने के लिए, 1992 के अधिनियम और एफ. टी. पी. के तहत प्रदान की गई व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और इस प्रकार इस संबंध में पारस्परिक रूप से अनन्य है। किसी भी अन्य दृष्टिकोण को अपनाना विपरीत-उत्पादक होगा और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक उदार एफ. टी. पी. के निर्माण के पीछे के इरादे को कम करेगा।

15. एफ. टी. पी. विषय के तहत, अध्याय 6 ई. ओ. यू. एस., इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ई. एच. टी. पी.), सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से संबंधित है।

(एसटीपी) और जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी)। पैरा 6.1 पात्रता मानदंड प्रदान करता है। यह परिकल्पना की गई है कि ई. ओ. यू. योजना के तहत वस्तुओं और सेवाओं के अपने पूरे उत्पादन (डी. टी. ए. में अनुमेय बिक्री को छोड़कर) का निर्यात करने वाली इकाइयों की स्थापना की जा सकती है। उसमें निर्दिष्ट अन्य उद्यानों के संबंध में भी इसी तरह का प्रावधान किया गया है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यापारिक इकाइयाँ इन योजनाओं के अंतर्गत नहीं आती हैं। पैरा 6.1 (पात्रता) इस प्रकार हैः

" 6.1 योग्यता

वस्तुओं और सेवाओं के अपने पूरे उत्पादन (डी. टी. ए. में अनुमेय बिक्री को छोड़कर) के निर्यात के लिए उपक्रम करने वाली इकाइयों को निर्यात उन्मुख इकाई (ई. ओ. यू.) योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई. एच. टी. पी.) योजना, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस. टी. पी.) योजना या जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बी. टी. पी.) योजना के तहत स्थापित किया जा सकता है। व्यापारिक इकाइयाँ नहीं हैं

इन योजनाओं के अंतर्गत आता है।

16. एफ. टी. पी. का पैरा 6.2 ई. ओ. यू. के लिए वस्तुओं के निर्यात और आयात जैसी अपनी गतिविधियों का संचालन करने के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करता है। अन्य बातों के अलावा, वर्तमान अपीलों पर विचार करने के लिए प्रासंगिक खंड पैरा 6.2 (बी) है,

जो इस प्रकार हैः -

" 6.2 वस्तुओं का निर्यात और आयात

(ए)।
(ख) ई. ओ. यू./ई. एच. टी. पी./एस. टी. पी./बी. टी. पी. इकाई आयात कर सकती है और/या

डी. टी. ए. या डी. टी. ए./में बंधुआ गोदामों से खरीद

शुल्क के भुगतान के बिना भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी,

अपनी गतिविधियों के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं सहित सभी प्रकार की वस्तुएँ, बशर्ते वे आई. टी. सी. (एच. एस.) में आयात की निषिद्ध वस्तुएँ न हों। किसी अन्य कानून के तहत आयात के लिए आवश्यक कोई भी अनुमति लागू होगी। इकाइयों को स्वीकृत के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं सहित वस्तुओं के आयात की भी अनुमति होगी।
निः शुल्क या ग्राहकों से ऋण/पट्टे पर गतिविधि। पूंजीगत वस्तुओं का आयात स्व-प्रमाणन के आधार पर होगा। एक इकाई द्वारा आयातित माल वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति के साथ होगा।

और इसका उपयोग निर्यात उत्पादन के लिए किया जाएगा।

(जोर दिया गया)

इस प्रावधान के प्रारंभिक भाग से ही यह स्पष्ट है कि

यह निर्दिष्ट संस्थाओं/इकाइयों को नियंत्रित करता है, जो डी. टी. ए. या बंधुआ गोदामों आदि से वस्तुओं के आयात और/या खरीद में लगे हुए हैं, और उन्हें शुल्क का भुगतान किए बिना ऐसा करना चाहिए। इसके

अलावा, निर्दिष्ट संस्थाएं वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति के साथ आयातित वस्तुओं का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं और

निर्यात उत्पादन के लिए उपयोग या उपयोग किया जाए। एफ. टी. पी. के तहत लाभ प्राप्त करने या हकदारी का लाभ उठाने के लिए किसी भी अपवाद के बिना निर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा इस दोहरी शर्त का पालन किया जाना चाहिए।

एफ. टी. पी. डॉज़ प्राइवेट लिमिटेड का अध्याय 6 v. भारत और अन्य का संघ

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

डी. टी. ए. इकाइयों से ई. ओ. यू. को वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात माना जाना चाहिए, जैसा कि एफ. टी. पी. के पैरा 6.11 से स्पष्ट है। वैसा ही।

यह हैः -

5.11 डी. टी. ए. से आपूर्ति का हक

(क) डी. टी. ए. से ई. ओ. यू./ई. एच. टी. पी./एस. टी. पी./बी. टी. पी. इकाइयों को आपूर्ति की जाएगी।

डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता को "मानित निर्यात" माना जाएगा।

के अध्याय 8 के तहत प्रासंगिक अधिकारों के लिए पात्र हों

एफ. टी. पी., निर्यात दायित्व के निर्वहन के अलावा, यदि कोई हो,

आपूर्तिकर्ता। उपरोक्त के बावजूद, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी /

बी. टी. पी. इकाइयाँ एक उपयुक्त अस्वीकरण प्रस्तुत करने पर

डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से, पात्रता प्राप्त करने के लिए पात्र हों

एफ. टी. पी. के अध्याय 8 में निर्दिष्ट। मानित निर्यात का दावा करने के लिए शुल्क की कमी के कारण, उन्हें कहीं भी डी. सी. द्वारा निर्धारित ब्रांड दरें मिलेंगी।

खामियों की सभी उद्योग दरें उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों के आपूर्तिकर्ता, सिंथेटिक

डी. टी. ए. से लेकर ई. ओ. यू. तक पत्थर और प्रसंस्कृत मोती पात्र होंगे।

दरों पर और वस्तुओं के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकरण प्रदान करने के लिए

एच. बी. पी. v1 में उल्लिखित है।

(ग) इसके अलावा, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयाँ

निम्नलिखित का अधिकारः

(i) वस्तुओं पर केंद्रीय बिक्री कर (सी. एस. टी.) की प्रतिपूर्ति

भारत में निर्मित। देरी होने पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से सरल ब्याज देय होगा।

सी. एस. टी. की वापसी में, यदि मामले का निपटारा 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है

एच. बी. पी. वी1)। ((ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट

निर्मित वस्तुओं पर डी. टी. ए. से खरीदी गई वस्तुओं पर

भारत में।

डी. जी. एफ. टी. द्वारा अधिसूचित ड्रॉबैक दर के अनुसार उपक्रम समय-समय पर। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति

वित्त अधिनियमों के तहत ईंधन पर भी लगाया जाएगा

स्वीकार्य है।

(iv) भुगतान किए गए सेवा कर पर सेनवैट क्रेडिट।

(जोर दिया गया)

इसके अलावा, मानित निर्यात के परिणामस्वरूप, डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता एफ. टी. पी. के अध्याय 8 के तहत निर्दिष्ट अधिकारों के लिए पात्र हो जाता है। इसे अलग तरीके से कहने के लिए, उसी अध्याय 6 में, एफ़. टी. पी. के अध्याय 8 के तहत डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता का भी उल्लेख किया गया है। यह प्रावधान एफ. टी. पी. के अध्याय 8 के तहत निर्दिष्ट अधिकारों का लाभ उठाने के तरीके से भी संबंधित है-या तो स्वयं डी. टी. ए. इकाई या वस्तुओं और सेवाओं के प्राप्तकर्ता ई. ओ. यू. द्वारा। क्योंकि, इस शर्त के संदर्भ में ई. ओ. यू. भी डी. टी. ए. से उपयुक्त अस्वीकृति प्राप्त करने के बाद डी. टी. ए. इकाई की पात्रता के बदले में बताए गए लेनदेन के संबंध में धनवापसी का दावा कर सकता है। आपूर्तिकर्ता। दूसरे शब्दों में, खंड 6.11 [विशेष रूप से इसका खंड (ए)] डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता से संबंधित है, जिसका लाभ डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता स्वयं या ई. ओ. यू. द्वारा उठाया जा सकता है, जिसे उस संबंध में उपयुक्त अस्वीकृति देने पर माल की आपूर्ति की गई थी। डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के अधिकारों को एफ़. टी. पी. के अध्याय 8 में चित्रित किया गया है, जिसके लिए हम

थोड़ी देर बाद विज्ञापन देंगे। अध्याय 6.11 के खंड (ए) में यह भी प्रावधान है कि डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता और ई. ओ. यू. निर्यात शुल्क की कमी का दावा कर सकते हैं -

ठीक है, डीसी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार जहां सभी उद्योग दरें उपलब्ध नहीं हैं।

17. पैरा 6.11 का खंड (ग) एक ऐसा प्रावधान है जो ई. ओ. यू. की पात्रता को स्पष्ट करता है। इसमें केंद्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति शामिल है।

(सी. एस. टी.) भारत में निर्मित वस्तुओं पर; डी. टी. ए. से उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट

भारत में निर्मित; खरीदे गए ईंधन पर भुगतान किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति

मानित निर्यात के रूप में माना जाता है और यह शुल्क के भुगतान के बिना ऐसा कर सकता है, एफ. टी. पी. के पैरा 6.11 (सी) (ii) के माध्यम से इसे छूट दी गई है। अपने आप में, ई. ओ. यू. किसी अन्य पात्रता के लिए पात्र नहीं है।

19. यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि इनके बीच स्पष्ट अंतर है।

अभिव्यक्ति "लाभ" 29 और "पात्रता" 3 0। लाभ, अपने स्वभाव से, एक लाभ, सहायता या सहायता है, जबकि "पात्रता" कुछ पाने का अधिकार है। अध्याय 6 के तहत, ई. ओ. यू. को निर्दिष्ट वस्तुओं का आयात करने का अधिकार है।

जिसमें वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति शामिल है और जिसका उपयोग निर्यात उत्पादन के लिए किया जाना है, जो ई. ओ. यू. से प्रारंभिक छूट का मामला है। पैरा 6.11 (ए) के रूप में प्रावधान केवल ई. ओ. यू. को एफ. टी. पी. के अध्याय 8 के तहत डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रताओं के संबंध में दावा करने में सक्षम बनाता है। एफ. टी. पी. के अध्याय 8 के तहत ई. ओ. यू. के लिए कोई अलग पात्रता नहीं है। इसे अलग तरीके से कहें तो, हालांकि पैरा 6.11 का शीर्षक "डी. टी. ए. से आपूर्ति के लिए हक" है और इसके खंड (ए) में परिकल्पना की गई है कि ई. ओ. यू. डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से एक उपयुक्त अस्वीकृति प्रस्तुत करने पर एफ. टी. पी. के अध्याय 8 में निर्दिष्ट हक प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हक है। ई. ओ. यू. हालाँकि, यह केवल एफ़. टी. पी. के अध्याय 8 के तहत डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता के संबंध में ई. ओ. यू. को हस्तांतरित लाभ का मामला है।

20. यह हमें एफ़. टी. पी. के अध्याय 8 पर लाता है। अध्याय 8 का शीर्षक "मानित निर्यात" है। मूल पैरा 8.1 में निर्दिष्ट किया गया है कि मानित निर्यात उन लेनदेनों को संदर्भित करता है जिनमें आपूर्ति की गई वस्तुएं देश नहीं छोड़ती हैं और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में या भारतीय मुद्रा में प्राप्त किया जाता है।

मुक्त विदेशी मुद्रा। संशोधन के माध्यम से, यह आगे प्रावधान किया गया है कि निर्दिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति (पैरा 8.2 में उल्लिखित) को निर्यात माना जाएगा बशर्ते माल भारत में निर्मित हो। मूल पैरा 8.1 इस प्रकार हैः

-

" 8.1 . मानित निर्यात

" मानित निर्यात उन लेन-देनों को संदर्भित करता है जिनमें माल

आपूर्ति की गई देश नहीं छोड़ते हैं, और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान है

या तो भारतीय रुपये में या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया।

[अनुच्छेद 8.1, संशोधन के बाद, 2012-2013 में इस प्रकार हैः -

" 8.1 . मानित निर्यात

मानित निर्यात उन लेनदेनों को संदर्भित करता है जिनमें आपूर्ति की गई वस्तुएं देश नहीं छोड़ती हैं, और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान किया जाता है

29 ब्लैक लॉ डिक्शनरी में (11 वां संस्करण): लाभ, एन। (14(ग) 1. कुछ लाभ या विशेषाधिकार देता है; किसी चीज़ का सहायक या उपयोगी प्रभाव कार के मालिक होने का लाभ देता है। 2. लाभ या लाभ; विशेष रूप से। , वह प्रतिफल जो प्रतिज्ञा <बिक्री से प्राप्त लाभ> की ओर जाता है। — कानूनी लाभ भी कहा जाता है; कानूनी मूल्य।

30 ब्लैक लॉ डिक्शनरी में (11 वां संस्करण): हकदारी। (19 ग) कानूनी आवश्यकता को पूरा करने पर तुरंत प्रदान किए गए सामाजिक सुरक्षा जैसे (यू. एस. यू. मौद्रिक) लाभ का पूर्ण अधिकार।

नीचे अनुच्छेद 8.2 में उल्लिखित वस्तुओं की आपूर्ति प्रदत्त वस्तुओं को "मानित निर्यात" माना जाएगा।

इनका निर्माण भारत में किया जाता है। "]

(संशोधन पर प्रकाश डाला गया)

अध्याय 8 के पैरा 8.2 में आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट किया गया है जो

माना जाने वाला निर्यात माना जाएगा। खंड (ख) इसके लिए लागू होता है -

ई अपील प्रस्तुत करते हैं। मूल पैरा 8.2 का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः -

" 8.2 . आपूर्ति की श्रेणियाँ मुख्य /उप-ठेकेदारों द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति की निम्नलिखित श्रेणियाँ

एफ. टी. पी. के तहत "मानित निर्यात" के रूप में माना जाएगा, बशर्ते माल

भारत में निर्मित हैंः

((a) XXX

XXX

XXX

(ख) ई. ओ. यू./एस. टी. पी./ई. एच. टी. पी./बी. टी. पी. को वस्तुओं की आपूर्ति;

" "

[अनुच्छेद 8,2, संशोधन के बाद, 2012-2013 में इस प्रकार हैः -

मुख्य/उप-ठेकेदारों द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति की निम्नलिखित श्रेणियाँ इसे "मानित निर्यात" माना जाएगाः

((c) XXX

XXX

XXX

(घ) ई. ओ. यू./एस. टी. पी./ई. एच. टी. पी./बी. टी. पी. को वस्तुओं की आपूर्ति;

..... ”]

दूसरे शब्दों में, आपूर्ति की केवल निर्दिष्ट श्रेणियां हैं

माना गया निर्यात माना जाता है। इसमें डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से ई. ओ. यू. को आर. ए. 8.2 (बी) में निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात को मानित माना जाता है।

बंदरगाह। इसे अलग तरीके से कहें तो डी. टी. ए. इकाई द्वारा ई. ओ. यू. को वस्तुओं की आपूर्ति वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति और निर्यात उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, माना जाता है

निर्यात माना जाता है। इस तरह के लेन-देन के लिए कुछ लाभ दिए गए हैं

प्रवृत्त, जैसा कि संबंधित स्थानों पर लागू एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 में दिया गया है।

नहीं, जो इस प्रकार पढ़ता हैः

" 8.3 मानित निर्यात के लिए लाभ मानित निर्यात
निम्नलिखित में से किसी भी/सभी लाभों के लिए पात्र होगा।

के रूप में योग्य वस्तुओं के निर्माण और आपूर्ति के संबंध में

एच. बी. पी. v1 में नियमों और शर्तों के अधीन माना गया निर्यातः

(क) इसके लिए अग्रिम प्राधिकरण/अग्रिम प्राधिकरण

वार्षिक आवश्यकता/डी. एफ. आई. ए.

RIVATE LIMITED v. भारत और अन्य का संघ

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

निर्यात में कमी मानी गई।

अंतिम उत्पाद शुल्क से छूट जहां आपूर्ति की जाती है

आई. सी. बी. के खिलाफ किया गया। अन्य मामलों में, टर्मिनल का रिफंड

उत्पाद शुल्क दिया जाएगा। टेड से छूट मिलेगी

अग्रिम प्राधिकरण यदि ऐसे निर्माता, बदले में, एक अंतिम निर्यातक को उत्पाद (ओं) की आपूर्ति करता है।

आपूर्तिकर्ताओं को प्रासंगिक समय पर लाभ प्रदान करने वाले एफ. टी. पी. के पैरा 8.4 में कहा गया हैः -

आपूर्तिकर्ता के लिए उपयुक्त नहीं

(i) अग्रिम के बदले की गई आपूर्ति के संबंध में एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 8.2 (ए) के संदर्भ में प्राधिकरण/डी. एफ. आई. ए., आपूर्तिकर्ता अग्रिम प्राधिकरण का हकदार होगा।

/ मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए डी. एफ. आई. ए.

((ii) यदि अग्रिम रिलीज के बदले आपूर्ति की जाती है।

ऑर्डर (ए. आर. ओ.) या बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया गया

एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 4.1.11 और 4.1.12, आपूर्तिकर्ता करेंगे पैराग्राफ 8.3 (बी) में सूचीबद्ध लाभों के हकदार होंगे और

(ग) एफ. टी. पी., जो भी लागू हो।

ई. ओ. यू./ई. एच. टी. पी./को माल की आपूर्ति के संबंध में

एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 8.2 (बी) के संदर्भ में एस. टी. पी./बी. टी. पी., आपूर्तिकर्ता में सूचीबद्ध लाभों का हकदार होगा

एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 8.3 (ए), (बी) और (सी), जो भी लागू हो। एफ. टी. पी. के पैरा 8.2 (सी) के तहत की गई आपूर्ति के संबंध में, आपूर्तिकर्ता पॉलिसी के पैरा 8.3 (ए), (बी) और (सी) में सूचीबद्ध लाभों का हकदार होगा।

जो भी लागू हो।

(i) एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 8.2 (डी), (एफ) और (जी) के तहत की गई आपूर्ति के संबंध में, आपूर्तिकर्ता लाभ का हकदार होगा। पैराग्राफ 8.3 (ए), (बी) और (सी) में सूचीबद्ध, जो भी हो

लागू होता है।

((ii) पैराग्राफ में उल्लिखित आपूर्ति के संबंध में

8.2 (घ) अकेले ऐसी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को आपूर्ति, जिसे डी. ई. ए., एम. ओ. एफ. द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, पात्र होगी [2022] 2 एस. सी. आर.

मेरी अदालत की रिपोर्ट

मानित निर्यात लाभ के लिए। ऐसी एजेंसियों की सूची /

निधि एच. बी. पी. v1 के परिशिष्ट 13 में दी गई है।

(iii) एफ. टी. पी. के पैरा 8.2 (एफ) के तहत मानित निर्यात के लाभ उन वस्तुओं के संबंध में लागू होंगे, जिनके आयात की अनुमति डी. ओ. आर. द्वारा शून्य सीमा शुल्क पर दी गई है।

संख्या 21/2002-सीमा शुल्क दिनांक 1.3.2002, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है। (iv) पैराग्राफ 8.2 (जी) के संदर्भ में बिजली परियोजनाओं को पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य के 10 प्रतिशत तक पूंजीगत वस्तुओं और पुर्जों की आपूर्ति, मानित निर्यात के लिए हकदार होगी।

आई. सी. बी. प्रक्रियाएँ प्रदान किए गए लाभ

स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आई. पी. पी.) / इंजीनियरिंग और खरीद अनुबंध (ईपीसी) चरण।

मानित निर्यात का लाभ भी इसके लिए उपलब्ध होगा

विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण/आधुनिकीकरण। आपूर्तिकर्ता एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 8.3 (ए) और (बी) में सूचीबद्ध लाभों के लिए पात्र होंगे, जो भी लागू हो। हालांकि,

किसी भी मेगा की स्थापना के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

एस. एन. में निर्दिष्ट बिजली परियोजना। डीओआर के 400

अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमा शुल्क दिनांक 1.3.2002, जैसा कि संशोधित किया गया है, निर्यात लाभों के लिए पात्र होगा।

जैसा कि एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 8.3 (ए), (बी) और (सी) में उल्लेख किया गया है,

जो भी लागू हो, यदि ऐसी बड़ी बिजली परियोजना लागू होती है।

सीमा उत्पादन क्षमता का अनुपालन करता है सीमा शुल्क अधिसूचना में उसमें निर्दिष्ट किया गया है।

(iv), संशोधन के बाद, 2010-2011 में इस प्रकार लिखा हैः -

" (iv) बिजली परियोजनाओं को पूंजीगत वस्तुओं और पुर्जों की आपूर्ति पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य के 10 प्रतिशत तक

पैराग्राफ 8.2 (जी) के अनुसार निर्यात माना जाएगा।

आई. सी. बी. प्रक्रियाएँ प्रदान किए गए लाभ

स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आई. पी. पी.) /

इंजीनियरिंग और खरीद अनुबंध (ईपीसी) चरण।

हालांकि, मेगा बिजली परियोजनाओं के संबंध में, आई. सी. बी. की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी, यदि

शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से या यदि परियोजना को शुल्क आधारित IVATE लिमिटेड v के माध्यम से प्रदान किया गया है।

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रतिस्पर्धी बोली। मानित निर्यात का लाभ

नवीनीकरण/आधुनिकीकरण के लिए भी उपलब्ध होगा।

बिजली संयंत्रों से। आपूर्तिकर्ता लाभ के लिए पात्र होगा। एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 8.3 (ए) और (बी) में सूचीबद्ध, जो भी हो

दिनांक 1.3.2002, जैसा कि संशोधित किया गया है, 88 के लिए पात्र होगा पैराग्राफ में बताए गए निर्यात लाभ

8.3 (ए), (बी) और (सी) एफ. टी. पी., जो भी लागू हो, यदि

इस तरह की बड़ी बिजली परियोजना सीमा का अनुपालन करती है

अधिसूचना। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मौजूदा मेगा बिजली परियोजना का विस्तार

एस. एल. में निर्दिष्ट। डी. ओ. आर. अधिसूचना संख्या 400 ए 21 /

2002- सीमा शुल्क दिनांक 1.3.2002, जैसा कि संशोधित किया गया है,

मानित निर्यात लाभों के लिए भी पात्र होंगे एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 8.3 (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित,

जो भी लागू हो "।]

(संशोधनों पर प्रकाश डाला गया)

(v) एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 8.2 (जी) के तहत नए लोगों को आपूर्ति नौवीं योजना अवधि के दौरान रिफाइनरियां स्थापित की जा रही हैं और

दसवीं योजना अवधि तक फैला हुआ, इसके लिए हकदार होगा उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में निर्यात लाभ माना जाता है

अनु. सं. में निर्दिष्ट सूची 17 में। अधिसूचना सं. 228। 21 / 2002 - सीमा शुल्क दिनांक 1.3.2002, जैसा कि संशोधित किया गया है

समय-समय पर। आपूर्तिकर्ता सूचीबद्ध लाभों के लिए पात्र होगा।

एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 8.3 (ए) और (बी) में से जो भी हो

लागू होता है।

एफ. टी. पी. का आपूर्तिकर्ता इसमें सूचीबद्ध लाभों के लिए पात्र होगा। एफ. टी. पी. का पैरा 8.3 (ए) और (बी), जो भी हो

लागू होता है। मानित निर्यात का लाभ होगा -

पूँजीगत वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में उपलब्ध और

उर्वरक संयंत्रों के लिए पुर्जे जो स्थापित या विस्तारित किए गए हैं

/ नौवीं योजना के दौरान संशोधित/पुनर्निर्मित/आधुनिकीकरण किया गया

अवधि। मानित निर्यात का लाभ भी होगा -

उर्वरक संयंत्रों को की गई आपूर्ति पर उपलब्ध है, जो [2022] 2 एस. सी. आर.

8 वीं/9 वीं योजना अवधि में शुरू किया गया है और गिर गया है

10 वीं योजना अवधि तक।

8.4. 6

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए वस्तुओं की आपूर्ति

एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 8.3 (ए) और (बी) में सूचीबद्ध लाभ, जो भी लागू हो।

परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को की गई आपूर्ति के संबंध में

8.4. 7

एफ. टी. पी. के पैरा 8.2 (जे) के तहत आपूर्तिकर्ता पात्र होगा।

एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (ए), (बी) और (सी) में दिए गए लाभों के लिए,

जो भी लागू हो। केवल उन्हीं वस्तुओं की आपूर्ति

21 / 2002 - सीमा शुल्क दिनांक 1.3.2002, जैसा कि संशोधित किया गया है समय-समय पर 440 मेगावाट या उससे अधिक की क्षमता के साथ

संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा प्रमाणित

परमाणु विभाग में भारत सरकार को

ऊर्जा, में मानित निर्यात लाभ के लिए हकदार होगी

ऐसे मामले जहां प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया (और

नहीं आई. सी. बी.) का पालन किया गया है।

(जोर दिया गया)

यद्यपि लाभों के रूप में जोड़ा गया है, ये अनिवार्य रूप से अधिकार हैं,

डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता द्वारा पैरा 8.4 के संदर्भ में लाभ उठाया जाए। 2 . जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पैरा 6.11 (ए) के संदर्भ में, ई. ओ. यू. एफ. टी. पी. के अध्याय 8 में निर्दिष्ट डी. टी. ए. के उन अधिकारों का भी लाभ उठा सकता है, जैसा कि डी. टी. ए. के लिए निर्धारित किया गया था।

आपूर्तिकर्ता। इसका मतलब यह नहीं है कि ई. ओ. यू. अपनी मर्जी से उन अधिकारों के लिए पात्र है, क्योंकि अन्य बातों के अलावा, यह एक पूर्व शर्त के रूप में डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से अस्वीकरण प्राप्त करने के लिए बाध्य है।

21. जैसा कि ऊपर बताया गया है, पैरा 8.2 आपूर्ति की श्रेणियों को सूचीबद्ध करता है -

ई. ओ. यू. को वस्तुओं की आपूर्ति सहित मानित निर्यात मानी जाने वाली वस्तुएँ [पैरा 8.2 (बी)]। निर्दिष्ट लेन-देनों को पैरा 8.3 में उल्लिखित कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं, जो एफ़. टी. पी. के तहत प्रकाशित पुस्तिका प्रक्रियाओं, खंड I में नियमों और शर्तों के अधीन होते हैं। पैरा 8.3 (सी), अन्य बातों के साथ-साथ, यह परिकल्पना करता है कि टी. ई. डी. से छूट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के खिलाफ की गई आपूर्ति और अग्रिम के लिए भी उपलब्ध है। एक अन्य अग्रिम प्राधिकरण रखने वाले निर्माता को प्राधिकरण धारक यदि ऐसा निर्माता अंतिम समय तक उत्पादों की आपूर्ति करता है।

निर्यातक। अन्य मामलों में, (ई. ओ. यू. को माल के अन्य डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता शामिल होंगे), हालांकि, टी. ई. डी. का रिफंड दिया जाएगा।

" इस तरह के डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ताओं को धनवापसी देने के लिए एक अधिदेश के रूप में माना जाना चाहिए, जो कि एफ़. टी. पी. के तहत इसकी पात्रता है। यह कम नहीं होता है

डी. टी. ए. से आपूर्ति के संबंध में ई. ओ. यू. को दिए गए शुल्क के भुगतान की शुरुआत से छूट।

22. विशेष रूप से, एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (सी) में अंतर्निहित पात्रता प्रदान नहीं की गई है।

" आई. सी. बी. और अग्रिम प्राधिकरण धारक के लिए उप-पैरा (ए) और (बी) में निर्दिष्ट श्रेणी के विपरीत। उप-पैरा (ग) में "अन्य मामलों में" अभिव्यक्ति को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। स्वीकार करते हुए, पैरा 8.4। 1 8. 4 तक। 7 ई. ओ. यू. को निर्यात माने जाने वाले माल के आपूर्तिकर्ता को लाभ प्रदान करना। यह अनिवार्य रूप से डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता का अधिकार है।

के रूप में

एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (ए), (बी) और (सी) में सूचीबद्ध, जो लागू हो। यह देखा जाता है कि पैरा 8.4। 2 2012 के संशोधित एफ. टी. पी. द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें

तालिका में 3 2 डाला गया था। उस तालिका के अनुसार, पैरा 8.2 के तहत लाभ उपलब्ध हैं। 31 संक्षेप में, "आई. सी. बी". 3 2 32 पैरा 8.4, संशोधन के बाद, 2012-2013 में इस प्रकार हैः

" 8.4 आपूर्तिकर्ता को लाभ

निम्नलिखित तालिका विभिन्न श्रेणियों की आपूर्ति के लिए उपलब्ध लाभों को दर्शाती है -

ऊपर पैरा 8.2 में उल्लिखित है। ऐसी आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता हकदार होगा।

पॉलिसी के पैराग्राफ 8.3 (ए), (बी) और (सी) में सूचीबद्ध लाभों के लिए, जो भी हो

लागू होता है।

प्रासंगिक उप

पैरा 8.3 में दिए गए लाभ, जो भी हो,

8. 2 का पैरा

लागू होता है

((ग)

(ख)

(अ)

(अ)

हां।

हां।

हां।

(के लिए

(ए. आर. ओ. या बैक के खिलाफ

(ए. आर. ओ. के खिलाफ या

मध्यवर्ती

बैक टू बैक

पीछे की ओर का पत्र

साख पत्र)

आपूर्ति)

क्रेडिट)

(ख)

हां।

हां।

हां।
हां।

हां।

((ग)

हां।

((घ)

हां।

हां।

हां।

(1)

हां।

हां।

हां।

हां।

(ज)

नहीं।

हां।

(1)

नहीं।

हां।

हां।

हां।

(1)

हां।

हां।

8.4. 1 इस पैराग्राफ को हटा दिया गया है क्योंकि इस पैराग्राफ की सामग्री ऊपर पैराग्राफ 8.4 में दी गई तालिका में दिखाई देती है। 8.4. 2 इस पैराग्राफ को हटा दिया गया है क्योंकि इस पैराग्राफ की सामग्री ऊपर पैराग्राफ 8.4 में दी गई तालिका में दिखाई देती है।

8.4. 3 इस पैराग्राफ को हटा दिया गया है क्योंकि इस पैराग्राफ की सामग्री ऊपर पैराग्राफ 8.4 में दी गई तालिका में दिखाई देती है।

8.4. 4 (i) इस पैराग्राफ को हटा दिया गया है क्योंकि इस पैराग्राफ की सामग्री ऊपर पैराग्राफ 8.4 में दी गई तालिका में दिखाई देती है।

पैरा 8.2 (बी) में ई. ओ. यू. को आपूर्ति सहित आपूर्ति की निर्दिष्ट श्रेणियों को पैरा 8.3 के तहत लाभ दिया गया था।

23. एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (सी) के संदर्भ में टी. ई. डी./ड्रॉबैक की वापसी के लिए पात्रता प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट/छूट का लाभ न उठाने पर निर्भर है, जैसा कि मूल पैरा 8.5 में परिकल्पना की गई है। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" 8.5 अंतिम उत्पाद शुल्क/निकासी की वापसी के लिए पात्रता

माल की आपूर्ति एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (सी) के संदर्भ में अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगी, बशर्ते माल का प्राप्तकर्ता ऐसी वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट/छूट का लाभ न उठाए। इसी तरह, आपूर्ति

निवेश/घटकों पर भुगतान किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (बी) के संदर्भ में मानित निर्यात निकासी के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि आवेदक द्वारा सेनवैट क्रेडिट सुविधा/छूट का लाभ नहीं उठाया गया हो। हालांकि ऐसी आपूर्ति निवेश/घटकों पर भुगतान किए गए सीमा शुल्क पर मानित निर्यात कमी के लिए पात्र होगी।

[अनुच्छेद 8.5, संशोधन के बाद, 2012-2013 में इस प्रकार हैः

" 8.5 अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए पात्रता / कमियां

वस्तुओं की आपूर्ति अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगी। एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (सी) के संदर्भ में शुल्क, बशर्ते माल का प्राप्तकर्ता ऐसी वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट/छूट का लाभ न उठाए। ए.

ए. एन. एफ. 8 के अनुलग्नक II में इस आशय की घोषणा

माल का प्राप्तकर्ता, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

इसी तरह, आपूर्ति इनपुट/घटकों पर भुगतान किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (बी) के संदर्भ में मानित निर्यात कमी के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि सेनवैट क्रेडिट/छूट नहीं है।

((ii) इस अनुच्छेद को हटा दिया गया है क्योंकि इस अनुच्छेद की सामग्री उपरोक्त अनुच्छेद 8.2 (घ) और 8.4 में परिलक्षित होती है।

((iv) इस अनुच्छेद को हटा दिया गया है क्योंकि इस अनुच्छेद की सामग्री उपरोक्त अनुच्छेद 8.2 और 8.4 में परिलक्षित होती है। (v) 8.4 हटा दिया गया। 5 हटा दिया गया। 8.4. 6 इस पैराग्राफ

को हटा दिया गया है क्योंकि इस पैराग्राफ की सामग्री ऊपर पैराग्राफ 8.4 में दी गई तालिका में दिखाई देती है।

8.4. 7 इस अनुच्छेद को हटा दिया गया है क्योंकि इस अनुच्छेद की सामग्री उपरोक्त अनुच्छेद 8.2 और 8.4 में परिलक्षित होती है। सैंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड v.

भारत और अन्य का संघ

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किए गए ऐसे शुल्क का लाभ उठाया गया। ए.

हालाँकि आपूर्ति निर्यात में कमी के लिए पात्र होगी। निवेश/घटकों पर भुगतान किए गए सीमा शुल्क पर।

(संशोधनों पर प्रकाश डाला गया)

मानित के तहत शुल्क वापसी और अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी में निर्यात योजना, यदि प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मामले का निपटारा नहीं किया जाता है

पूर्ण आवेदन (एच. बी. पी. v1 के पैराग्राफ 9.10.1 के अनुसार)।

24. इसी तरह, मानित के संबंध में एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (बी) के तहत लाभ

निर्यात कमी का लाभ उठाया जा सकता है, बशर्ते डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता द्वारा सेनवैट क्रेडिट/छूट का लाभ नहीं उठाया गया हो और अन्य अनुपालन के अधीन हो। औपचारिकताएँ। पैरा 8.4। 2 जैसा कि मूल रूप से था, एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट ई. ओ. यू. को वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में केवल आपूर्तिकर्ता (डी. टी. ए.) को दिए गए विकल्प का संकेत है। वह बरकरार रहा है।

2012 के संशोधन के बावजूद, मार्च 2013 तक। यह ध्यान दिया जाए कि पैरा 8.5 का तात्पर्य यह है कि वस्तुओं की आपूर्ति टी. ई. डी. के लिए पात्र होगी।

धनवापसी केवल तभी की जाती है जब ऐसी वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट/छूट का लाभ नहीं उठाया गया हो। इन शर्तों से पता चलता है कि एफ. टी. पी. की योजना स्पष्ट है और न ही अस्पष्ट है और न ही संबंधित संस्थाओं के लाभों और अधिकारों के संबंध में मौन है। इसे विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, एक तर्क है

लागू एफ. टी. पी. के इरादे को हराने की क्षमता को किसी भी तरह से नकार दिया जाना चाहिए।

25. संबंधित अवधि में लागू एफ. टी. पी. की योजना के अनुसार,

शुल्क का भुगतान किए बिना। न अधिक और न ही कम। हालाँकि, यह ई. ओ. यू. को डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से उपयुक्त अस्वीकृति प्राप्त करने पर अध्याय 8 के तहत डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता का लाभ उठाने से नहीं रोकता है, जैसा कि पैरा 6.11 (ए) में दिया गया है। ई. ओ. यू. द्वारा उस लाभ को इससे जोड़ा गया था अध्याय 8 में निर्दिष्ट डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता। डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता पैरा 8.3 (सी) के आलोक में टी. ई. डी. से छूट प्राप्त ई. ओ. यू. को आपूर्ति की गई वस्तुओं के संबंध में टी. ई. डी. का धनवापसी (हकदार) ले सकता है। हालाँकि, टी. ई. डी. की वापसी के लिए पात्रता को औपचारिकताओं और पालन की जाने वाली आवश्यकताओं द्वारा सीमित किया गया है, जिसमें पैरा 8.5 में उल्लिखित है। इसमें, माल प्राप्तकर्ता (ई. ओ. यू.) को सेनवैट क्रेडिट या छूट का लाभ नहीं मिलता है।

22] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. प्रासंगिक पैरा और इसके खंडों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एफ. टी. पी. विषय का उद्देश्य था - एफ. टी. पी. के अध्याय 8 में औपचारिकताओं और शर्तों को पूरा करने के अधीन, पैरा 8.3 (सी) के संदर्भ में टी. ई. डी. की वापसी प्रदान करके डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करें। यह इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा उत्पन्न करने के लिए भी था

अंतर्वाह के रूप में या अन्यथा आपूर्ति की गई वस्तुओं का अंत में ई. ओ. यू. द्वारा निर्यात किया जाता था। दूसरी ओर, ई. ओ. यू. केवल तभी डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता का लाभ उठा सकता है जब डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता ने छूट या सेनवैट नहीं लिया हो।

ऋण सुविधा (पैरा 8.5 के अनुसार) इसे निर्यात माना जाता है। नीति परिपत्र दिनांक 15.3.2013 जारी होने तक इस व्यवस्था का समान रूप से पालन किया गया था। वह परिपत्र इस प्रकार हैः

" भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

विदेश व्यापार महानिदेशालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली

नीति परिपत्र संख्या 16 (आरई-2012/2009-14)

तारीखः 15 मार्च, 2013

को,

सभी क्षेत्रीय प्राधिकरण

सभी विकास आयुक्त, एस. ई. जेड.

विषयः टेड रिफंड के बारे में स्पष्टीकरण जहाँ टेड छूट उपलब्ध है।

इस निदेशालय के संज्ञान में आया है कि कुछ आरएएस

डी. जी. एफ. टी. और विकास आयुक्तों के अधिकारी

एस. ई. जेड. उन मामलों में भी टी. ई. डी. का रिफंड प्रदान कर रहा है जहाँ

मानित निर्यात के तहत वस्तुओं की आपूर्ति को शुरू से ही छूट दी गई है।

2. आपूर्ति की तीन श्रेणियां हैं जहां मानित निर्यात के तहत वस्तुओं की आपूर्ति को शुरू से ही भुगतान से छूट दी गई है।

उत्पाद शुल्क। ये इस प्रकार हैंः

((i)

खिलाफ जारी अवैध पत्र के तहत माल की आपूर्ति

अग्रिम प्राधिकरण [एफ. टी. पी. का पैरा 8.3 (सी)]; सैन्डोज़ प्राइवेट लिमिटेड v.

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

((ख)

आई. सी. बी. [एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (सी)] के तहत वस्तुओं की आपूर्ति; और

(iii)

ई. ओ. यू. एस. को वस्तुओं की आपूर्ति [एफ. टी. पी. का पैरा 6.11 (सी) (ii)]

3. विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन का पालन

यदि धनवापसी प्रदान की जाती है तो बजट से समझौता किया जाएगा, मामलों में,

शुरू में करों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए था। और अगर, वहाँ एक त्रुटि/निरीक्षण किया गया है, तो एजेंसी

कर एकत्र करने से मांग करने के बजाय उसे वापस कर दिया जाएगा

किसी अन्य एजेंसी से प्रतिपूर्ति। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है

कि आपूर्ति के संबंध में, जैसा कि ऊपर पैरा 2 में कहा गया है, कोई धनवापसी नहीं

टी. ई. डी. डी. जी. एफ. टी./विकास कार्यालय के आर. ए. द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

उत्पाद शुल्क का भुगतान।

4. डी. जी. एफ. टी. की मंजूरी के साथ यह मुद्दा।

(जय करण सिंह)

विदेश व्यापार के संयुक्त निदेशक

(जोर दिया गया)

यह परिपत्र इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि आपूर्ति की गई वस्तुएँ

डी. टी. ए. इकाई द्वारा ई. ओ. यू. को मानित निर्यात का मामला होने के कारण, यह शुरू से ही उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट का अनुमान लगाता है। एफ. टी. पी. के प्रावधानों को बहुत बारीकी से पढ़ते हुए, जैसा कि अब तक व्याख्या की गई है, हमें यह मानने की आवश्यकता है कि डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता को उत्पाद शुल्क के भुगतान से दी गई छूट, कुछ औपचारिकताओं और शर्तों के अनुपालन के अधीन थी। यह सच है कि एफ. टी. पी. विषय यह निर्धारित करता है कि ई. ओ. यू. शुल्क के भुगतान के बिना डी. टी. ए. या डी. टी.

ए. में बंधुआ गोदामों या भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी से निर्दिष्ट वस्तुओं का आयात कर सकता है। लेकिन यह इस शर्त के साथ तैयार किया गया है कि इस तरह से आयातित माल वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति के साथ होगा और

निर्यात उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है और इसके अलावा, टी. ई. डी. की छूट का लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता ने छूट नहीं ली हो या पैरा 8.5 में दी गई सेनवैट क्रेडिट सुविधा का उपयोग नहीं किया हो। यह उस समझ के आधार पर है कि विभाग कथित नीति परिपत्र जारी होने तक डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता द्वारा टी. ई. डी. की वापसी के लिए किए गए अनुरोधों पर विचार कर रहा था। इस मायने में, यह कम से कम डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के लिए शुरुआत से छूट नहीं थी। इसलिए, परिपत्र डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक नए आयाम का परिचय देता है। डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ताओं के लिए इस तरह का बदलाव [2022] 2 एस. सी. आर. शुरू नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विदेश व्यापार के संयुक्त निदेशक के हस्ताक्षर के तहत एक नीति परिपत्र जारी करके। एफ. टी. पी. को केंद्र सरकार द्वारा 1992 के अधिनियम की धारा 533 (प्रासंगिक समय पर लागू) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है, जिसे एफ. टी. पी. के पैरा 1.2 के साथ पढ़ा जाता है, जो 27.9.2009 से प्रभावी हुआ था। हम यह नहीं कहना चाहते कि

विभाग/केंद्र सरकार को परिवर्तन करने से रोक दिया गया है

प्रचलन में वितरण। लेकिन, हमारे लिए यह स्पष्ट है कि व्यवस्था, जैसा कि उसने मार्च, 2013 से पहले प्राप्त किया था, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा एफ. टी. पी. के पैरा 8.3 (सी) और 8.4 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन करने के लिए जारी अधिसूचना भी शामिल है, भौतिक रूप से अलग डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता थे। क्योंकि, ई. ओ. यू. के मामले में पैरा 6.11 (सी) (2) के साथ पठित पैरा 6.2 (बी) के आधार पर यह उनके लिए प्रारंभिक छूट नहीं थी। तदनुसार, संशोधन करके इसे पूरी तरह से स्पष्ट करना आवश्यक हो गया अनुच्छेद 8.3 (ग) और 8.4 दिनांकित अधिसूचना 18.04.2013 के माध्यम से, कि अब से

इसे डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के लिए भी प्रारंभिक छूट माना जाएगा। वास्तव में, यह एफ़. टी. पी. में किया गया एक परिवर्तन या संशोधन है। इस तरह के परिवर्तन को केवल संभावित प्रभाव देने की आवश्यकता है, जिसे प्रत्यायोजित कानून द्वारा पेश किया जा रहा है। हमें दिनांकित 18.4.201334 अधिसूचना के औचित्य और वैधता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और न ही हमें इस पर विचार करने के लिए कहा गया है। काफ़ी है।

33

धारा 5, जैसा कि 2010 में संशोधन से पहले मौजूद थीः

5. निर्यात और आयात नीति। केंद्र सरकार समय-समय पर

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्यात और आयात नीति तैयार करें और घोषित करें और उसी तरह उस नीति में संशोधन भी कर सकते हैं।

2010 के अधिनियम 25 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 5 डब्ल्यू. ई. एफ. 27.8.2010:

बशर्ते कि केंद्र सरकार यह निर्देश दे सकती है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में, विदेश व्यापार नीति वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी पर ऐसे अपवादों, संशोधनों और अनुकूलन के साथ लागू होगी, जो उसके द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जाए। 34

भारत के राजपत्र में असाधारण भाग II, धारा 3, उप-धारा (II) में प्रकाशित किया जाएगा।

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन

अधिसूचना संख्या 4 (आरई-2013)/2009-2014

तारीखः 18 अप्रैल, 2013

विषयः मानित निर्यात योजना से संबंधित एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 8.3 (सी) और अनुच्छेद 8.4 में संशोधन-संबंधित।

सैंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड v. भारत और अन्य का संघ

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

यह अवलोकन करना कि नीति परिपत्र लागू एफ. टी. पी. के तहत डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ताओं के निहित अधिकार को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

27. जहां तक ई. ओ. यू. द्वारा टी. ई. डी. की वापसी के दावे का संबंध है,

एफ. टी. पी. के अध्याय 8 के तहत डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता के साथ पठित पैरा 6.11 (ए) में प्रदान किए गए वितरण द्वारा शासित होने की आवश्यकता है। हालाँकि, इसे एफ. टी. पी. के तहत अधिकारियों द्वारा संसाधित करना पड़ सकता है।

एस. ओ. (ई): विदेश व्यापार की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992, जैसा कि संशोधित, विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 1.3 के साथ पढ़ा जाता है, केंद्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. एफ. टी. पी. में मौजूदा पैराग्राफ 8.3 (सी) और 8.4 को संशोधित पैराग्राफ 8.3 (सी) और 8.4 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जैसा कि नीचे दिया गया हैः (i) मौजूदा अनुच्छेद 8.3 (ग)

" अंतिम उत्पाद शुल्क से छूट जहां आई. सी. बी. के खिलाफ आपूर्ति की जाती है। अन्य में मामलों में, अंतिम उत्पाद शुल्क का रिफंड दिया जाएगा। टेड से भी छूट होगी

अग्रिम प्राधिकरण धारक द्वारा निर्माता को की गई आपूर्ति के लिए उपलब्ध

यदि ऐसा निर्माता, बदले में, आपूर्ति करता है तो एक और अग्रिम प्राधिकरण धारण करना

एक अंतिम निर्यातक को उत्पाद।

संशोधित अनुच्छेद 8.3 (ग)

" यदि छूट उपलब्ध नहीं है तो अंतिम उत्पाद शुल्क का रिफंड दिया जाएगा। छूट टी. ई. डी. से आपूर्ति की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए उपलब्ध हैः

(i) आई. सी. बी. के खिलाफ आपूर्ति;

((ii) अग्रिम द्वारा किए गए अमान्यकरण पत्र के विरुद्ध मध्यवर्ती वस्तुओं की आपूर्ति।

किसी अन्य अग्रिम प्राधिकरण धारक को प्राधिकरण धारक; और

(iii) डी. टी. ए. इकाई द्वारा ई. ओ. यू./ई. एच. टी. पी./एस. टी. पी./बी. टी. पी. इकाई को वस्तुओं की आपूर्ति।

इस प्रकार आपूर्ति की ऐसी श्रेणियां जो शुरू से ही छूट प्राप्त हैं, पात्र नहीं होंगी

टेड का धनवापसी प्राप्त करें।

((ii) मौजूदा अनुच्छेद 8.4

" निम्नलिखित तालिका विभिन्न श्रेणियों की आपूर्ति के लिए उपलब्ध लाभों को दर्शाती है - ऊपर पैरा 8.2 में उल्लिखित है। ऐसी आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता का अधिकार होगा - पॉलिसी के पैराग्राफ 8.3 (ए), (बी) और (सी) में सूचीबद्ध लाभ, जो भी लागू हो।

प्रासंगिक

पैरा 8.3 में दिए गए लाभ, जो भी लागू हो,

का उप-पैरा

(ख)

((ग)

(अ)

8.2

(अ)

हां।

हाँ (खिलाफ)

हां।

(मध्यवर्ती के लिए

(ए. आर. ओ. के खिलाफ या पीछे

ए. आर. ओ. या वापस

आपूर्ति)

पीछे की ओर का पत्र

पीछे का पत्र

क्रेडिट)

क्रे डिट)

हां।

(ख)

हां।

हां।

हां।

हां।

((ग)

((घ)

हां।

हां।

हां।

हां।

(च)

हां।

हां।

हां।

हां।

(ज)

हां।

((i)

हां।

हां।

नहीं।

(जे)

हां।

हां।

2004 के नियमों के नियम 5 के तहत दिए गए सेनवैट क्रेडिट की वापसी के अंतर्निहित सिद्धांत और उसके लिए प्रदान किए गए तरीके को ध्यान में रखें।

नियम 5 के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून में यह लागू एफ. टी. पी. के आधार पर निर्यात माना जाता है।

28. यदि धनवापसी का दावा ई. ओ. यू. द्वारा किया जाता है, तो ऐसा ही होना चाहिए।

एफ. टी. पी. के तहत अधिकारियों द्वारा संसाधित, एफ. टी. पी. के अध्याय 8 में निर्दिष्ट डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता की गणना करके, उसे आपूर्ति की गई वस्तुओं के संबंध में, माना जाता है कि निर्यात का मामला है। हालाँकि, ई. ओ. यू. अपने दम पर टी. ई. डी. के रिफंड का हकदार नहीं है, क्योंकि ई. ओ. यू. के लिए अधिदेश डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से वस्तुओं की खरीद या आयात करना है, बिना शुल्क के भुगतान के, पैरा 6.2 (बी) के संदर्भ में प्रदान की गई प्रारंभिक छूट को देखते हुए। हालाँकि, ई. ओ. यू. पर इस तरह के स्पष्ट दायित्व के बावजूद, यदि ई. ओ. यू. ने डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से वस्तुओं का आयात किया है

टी. ई. डी. का भुगतान करते हुए, यह केवल पैरा 8.4 के तहत डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता को प्रदान किए गए धनवापसी के लाभ का दावा कर सकता है। 2 उस संबंध में डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से अस्वीकृति प्राप्त करने और अन्य औपचारिकताओं और आवश्यकताओं का पालन करने के अधीन, पैरा 8.3 (सी) और 8.8 के साथ पढ़ें।

संशोधित अनुच्छेद 8.4

" निम्नलिखित तालिका विभिन्न श्रेणियों की आपूर्ति के लिए उपलब्ध लाभों को दर्शाती है -

ऊपर पैरा 8.2 में उल्लिखित है। ऐसी आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता का अधिकार होगा -

पॉलिसी के पैराग्राफ 8.3 (ए), (बी) और (सी) में सूचीबद्ध लाभ, जो भी लागू हो।

पैरा 8.3 में दिए गए प्रासंगिक लाभ, जो भी लागू हो,

उप-पैरा

(ख)

(अ)

8. 2 से

((i) के मामले में छूट

(अ)

हां।

हां।

(ए. आर. ओ के खिलाफ

अमान्यीकरण

(मध्यवर्ती के लिए

(ii) ए. आर. ओ. के मामले में धनवापसी

या वापस

खिलाफ आपूर्ति

एक अमान्यीकरण

या एक के बाद एक आने वाला पत्र

पीछे का पत्र

क्रेडिट)

पत्र)

क्रेडिट

(ख)

हां।

हां।

छूट

हां।

हां।

रिफंड

((ग)

((घ)

छूट

हां।

हां।

(च)

हां।

हां।

((i) छूट

((ii) छूट, यदि आई. सी. बी. है।

धनवापसी, यदि बिना

आईसीबी।

रिफंड

(ज)

नहीं।

हां।

(ज)

नहीं।

हां।

हां।

((i)

हां।

हां।

रिफंड

3. इस संशोधन का प्रभावः जब शुरुआत से छूट उपलब्ध होगी, तो टेड रिफंड का लाभ नहीं दिया जाएगा।

(

अनूप के. पुजारी)

विदेश व्यापार महानिदेशक

सैन्डोज़ प्राइवेट लिमिटेड v.

29. इस प्रकार हम बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा किए गए इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि ई. ओ. यू. अपने निर्णय पर टी. ई. डी. के रिफंड का दावा करने का हकदार नहीं है।

सेनवैट क्रेडिट की वापसी/उत्पाद शुल्क दायित्वों की छूट। यदि सेनवैट क्रेडिट का उपयोग डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता या ई. ओ. यू. द्वारा किया जाता है, जैसा भी मामला हो सकता है नकद नहीं किया जा सकता है, नकद में राशि वापस करने का कोई सवाल ही नहीं है। उस स्थिति में, समान राशि को नकद भुगतान करने के बजाय संबंधित संस्था के सेनवैट क्रेडिट खाते में वापस कर दिया जाना चाहिए।

30. यदि एफ़. टी. पी. योजना के तहत डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता द्वारा धनवापसी के दावे की अनुमति है, तो यह नकद में हो सकता है यदि टी. ई. डी. का भुगतान नकद में किया गया था। अन्यथा, यह डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के संबंधित खाते में अनुरूप सेनवैट क्रेडिट राशि के प्रत्यावर्तन के रूप में हो सकता है।

एफ. टी. पी. विषय के अध्याय 8 में उल्लिखित शर्तों के उद्देश्य को ध्यान में रखें, जैसे कि ई. ओ. यू. को आयातित या आपूर्ति की गई वस्तुएं वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के साथ होंगी और उनका उपयोग निर्यात उत्पादन के लिए किया जाएगा और ई. ओ. यू. ने आपूर्ति की गई वस्तुओं के संबंध में सेनवेट क्रेडिट या छूट का लाभ नहीं उठाया है। ई. ओ. यू. को। इसी तरह, यदि डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता ने सेनवैट क्रेडिट का उपयोग किया है, तो अनुरूप राशि को उसके सेनवैट क्रेडिट खाते में वापस करने की आवश्यकता है, इस मामले में, डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता को नकद में राशि वापस करने का कोई सवाल ही नहीं है।

32. अब हम न्यायिक घोषणाओं पर लौटेंगे।

एफ. टी. पी. विषय के साथ। बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को छोड़कर, जो ई. ओ. यू. द्वारा धनवापसी के दावे से संबंधित पहली दो अपीलों में चुनौती के तहत है, अन्य सभी रिपोर्ट किए गए निर्णय निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं के डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के संबंध में हैं।

विदेशी मुद्रा अर्जित करने और वैश्विक स्तर पर वृद्धि करने के उद्देश्य से विदेशों में भारतीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया 35 फुटनोट No.22 [2022] 2 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

बाजार। यह योजना स्वदेशी आपूर्तिकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित की गई थी

कुछ लाभ और हक प्रदान करके, या तो उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट के माध्यम से या उत्पाद शुल्क की वापसी प्राप्त करने के लिए, यदि पहले से ही भुगतान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को निर्यात सामग्री के उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त निवेश प्रदान करना था और इस कारण से, यह आपूर्तिकर्ता को किसी भी उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट देता है और यदि भुगतान किया जाता है, तो टी. ई. डी. की वापसी का प्रावधान करता है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि केवल इसलिए कि 1944 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता को इस तरह के धनवापसी की अनुमति नहीं थी, यह डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता को एफ. टी. पी. के तहत हक और लाभों का लाभ उठाने से वंचित नहीं करेगा। इसने अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती किसी भी कानून का लाभ उठाने के लिए खुला है, विशेष रूप से जो अधिक फायदेमंद है। तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ वापसी योग्य राशि का भुगतान करने के निर्देश जारी किए। उक्त निर्णय के खिलाफ विभाग द्वारा दायर अपील को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक में खारिज कर दिया था। हालांकि, डिवीजन बेंच ने डी. जी. एफ. टी. को टी. ई. डी. राशि वापस करने का निर्देश दिया क्योंकि यह एफ़. टी. पी. के तहत संबंधित प्राधिकरण है, बशर्ते कि निर्धारिती एफ़. टी. पी. में प्रदान की गई आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करे। इस निर्णय की पुष्टि तब इस न्यायालय द्वारा एस. एल. पी. होने की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के परिणामस्वरूप की गई थी। (ग) 2002 का No.5368,7.10.2002 पर।

34. इस मामले में अगला फैसला गुजरात उच्च न्यायालय का है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त बनाम एन. बी. एम. उद्योग 3 7. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या ई. ओ. यू. को माल का डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता 2004 के नियमों के नियम 5 के बावजूद सेनवैट क्रेडिट की वापसी का हकदार है, जो सेनवैट क्रेडिट की वापसी से संबंधित है। अधिकारियों ने माना था कि भारत से बाहर माल के निर्यात का मामला नहीं होने के कारण, निर्धारिती को आपूर्ति की गई वस्तुओं के संबंध में उपयोग की गई सेनवैट क्रेडिट राशि की वापसी का अधिकार नहीं है। ई. ओ. यू. उच्च न्यायालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम शिल्पा कॉपर वायर इंडस्ट्रीज 3 8 में अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए विभाग के उस रुख को नकार दिया। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने कहा कि धनवापसी का दावा लागू एफ. टी. पी. के संदर्भ में था न कि 1944 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के आधार पर। डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता लागू एफ. टी. पी. में निर्दिष्ट की गई थी

36 फुटनोट No.19 37 2012 (276) ईएएलटी 9 (गुजरात) 38 2011 (269) ईएलटी 17 (गुजरात)

सैंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड v. भारत और अन्य का संघ

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

मानित निर्यात जिन्हें कानूनी रूप से अप्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट की वापसी के हकदार होने के उद्देश्य से भौतिक निर्यात माना जाता है। 35. इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला कंडोई मेटल पाउडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 3 9 में आया। यहां तक कि,

यह लागू एफ. टी. पी. के संदर्भ में ई. ओ. यू. को आपूर्ति की गई आपूर्तिकर्ता विनिर्माण वस्तुओं का मामला था। उच्च न्यायालय ने न केवल विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, बल्कि स्वतंत्र रूप से यह राय दी कि डी. जी. एफ. टी. ने एफ. टी. पी. तैयार की है, निर्धारिती का दावा था

पैरा 8.2,8.3,8.4 और 8.8 में विनिर्दिष्ट अधिकारों द्वारा शासित, जैसा कि प्रासंगिक समय पर लागू होता है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और रिट याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता के धनवापसी दावे पर निर्णय लेने के लिए संबंधित प्राधिकरण के समक्ष भेज दिया। इस फैसले का बाद के फैसलों में न केवल दिल्ली उच्च न्यायालय की समन्वित पीठों द्वारा, बल्कि अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा भी पालन किया गया है।

36. राजा क्राउन्स एंड कैन्स प्राइवेट के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय। लिमिटेड बनाम भारत संघ 1 ने ई. ओ. यू. को माल के डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के समान दावे पर विचार किया और ऊपर निर्दिष्ट दिल्ली उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसलों का पालन करते हुए राय दी कि निर्धारिती टी. ई. डी. की वापसी के लिए एक आवेदन बनाए रखने का हकदार था। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को रिट याचिकाकर्ता के धनवापसी आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। बाद में, मद्रास उच्च न्यायालय ने लेनोवो (इंडिया) प्राइवेट में भी यही विचार रखा। Ltd.4² और मनाली पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बनाम अतिरिक्त महानिदेशक

विदेश व्यापार विभाग, नई दिल्ली और Anr.43।

37. जैसा कि ऊपर कहा गया है, कंडोई मेटल पाउडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में निर्णय बाद में लिया गया है। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम अल्सटॉम इंडिया लिमिटेड, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली द्वितीय बनाम वेलस्प्रिंग यूनिवर्सल, दीपक एंटरप्राइजेज बनाम भारत संघ, अल्स्टॉम मामले में सुनवाई की।

39 फुटनोट पर ऊपर No.18

40 फुटनोट पर ऊपर No.19 4 1 41 2015 (317) ELT 40 (मैड.) 42 फुटनोट पर ऊपर No.25 43 2009 का डब्ल्यू. पी. No.23194, फुटनोट No.18 पर 16.9.2019 44 ऊपर का निर्णय लिया गया

45 2015 (325) ईएलटी 72 (डेल.) 46 2018 (359) ईएलटी 635 (डेल.) 47 2018 (360) ईएलटी 905 (डेल.)

22] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मदरसन सुमी इलेक्ट्रिक

वायर्स बनाम भारत संघ, मल्टीटेक्स फिल्टरेशन इंजीनियर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 50 और हिंदुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 51।

38. कलकत्ता उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी सराहना की। लिमिटेड 52

39. ई. ओ. यू. को निर्दिष्ट वस्तुओं के डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के कहने पर इन निर्णयों में लिया गया दृष्टिकोण लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है।

इस निर्णय में हमारे द्वारा। उस हद तक, हम इन निर्णयों की पुष्टि करते हैं और मानते हैं कि ई. ओ. यू. को वस्तुओं का डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता लागू पैरा 6.11 (ए) के साथ पैरा 8.3 (सी) के आधार पर टी. ई. डी. की वापसी का हकदार होगा।

8.4. 2 और एफ. टी. पी. का 8.8 विचाराधीन है। हालाँकि, धनवापसी का तरीका डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के सेनवैट क्रेडिट खाते में समान राशि के प्रत्यावर्तन के रूप में होना चाहिए, यदि डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता ने आपूर्ति की गई वस्तुओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट खाते का उपयोग किया था।

ई. ओ. यू.; और यदि उसने नकद राशि का भुगतान किया था, तो डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता पैरा 8.5 में दी गई दर के अनुसार 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ नकद धनवापसी का हकदार होगा। 1 मानित निर्यात योजना के तहत शुल्क वापसी और टी. ई. डी. की वापसी में देरी पर लागू एफ. टी. पी.।

40. बंबई उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में विचार किए गए ई. ओ. यू. के मामले पर लौटते हुए, हम मानते हैं कि ई. ओ. यू. केवल एफ. टी. पी. के पैरा 6.11 (सी) (ii) के संदर्भ में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से प्रारंभिक छूट का हकदार है और डी. टी. ए. से माल का आयात करने के लिए बाध्य है।

एफ. टी. पी. के पैरा 6.2 (बी) के संदर्भ में शुल्क के भुगतान के बिना आपूर्तिकर्ता। द. पैरा 6.11 (ए) में दी गई व्यवस्था, हालांकि, ई. ओ. यू. को दिए गए "लाभ" की प्रकृति में है यदि उसने संबंध में टी. ई. डी. के लिए राशि का भुगतान किया था।

डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता को उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं को। उस स्थिति में, ई. ओ. यू. डी. टी. ए. से उपयुक्त अस्वीकृति प्राप्त करने पर केवल एफ. टी. पी. के अध्याय 8 में निर्दिष्ट डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। आपूर्तिकर्ता। तदनुसार, शुरुआत से छूट के अलावा, ई. ओ. यू. आवश्यक आवश्यकताओं का पालन करने के अधीन एफ. टी. पी. के अध्याय 8 में निर्दिष्ट डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त रूप से पात्र है।

48 2018 (363) ई. एल. टी. 69 (डी. एल.) 49 2018 (364) ई. एल. टी. 91 (डी. एल.) 50 2020 (373) ई. एल. टी. 68 (डी. एल.) 51 2020 (373) ई. एल. टी. 217 (डी. एल.) 52 ऊपर फुटनोट No.21 सैंडोज़ प्राइवेट लिमिटेड v.

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

और औपचारिकताएँ। दूसरे शब्दों में, ई. ओ. यू. अपनी मर्जी से टी. ई. डी. की वापसी का हकदार नहीं है, लेकिन आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने पर डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के अधिकारों का लाभ उठा सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वापसी योग्य राशि पर ब्याज, यदि नकद में भुगतान किया जाता है, तो पैरा 8.5 में प्रदान की गई 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज के साथ वापस किया जाना चाहिए। 1 लागू एफ. टी. पी. का, ई. ओ. यू. द्वारा धनवापसी के लिए आवेदन के मामले में भी। 41. अगला सवाल हैः धनवापसी का दावा किस प्राधिकरण के समक्ष किया जाना चाहिए? जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, चूंकि छूट की पात्रता

और केंद्र सरकार द्वारा 1992 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए एफ. टी. पी. के प्रावधानों से टी. ई. डी. प्रवाह की वापसी, जो 1944 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में प्रदान किए गए प्रावधानों की तुलना में एक स्वतंत्र व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य निर्यात और आय को बढ़ावा देना है। विदेशी मुद्रा, यह संबंधित संस्थाओं के धनवापसी दावे से निपटने के लिए एफ. टी. पी. विषय को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण का दायित्व है। क्योंकि, यह 1944 के अधिनियम या 2002 के नियमों या 2004 के नियमों के तहत धनवापसी का मामला नहीं है, बल्कि लागू एफ. टी. पी. के तहत है।

42. अंत में, हमारा मानना है कि ई. ओ. यू. संस्थाएं, जिन्होंने डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद और आयात किया था, वे ऐसा करने के हकदार हैं।

शुल्क के भुगतान के बिना [पैरा 6.2 (बी) के अनुसार] एफ. टी. पी. के पैरा 6.11 (सी) (ii) के तहत इस तरह के दायित्व से छूट दी गई है, जिसे निर्यात माना जा रहा है। इसके अलावा, लागू एफ. टी. पी. के तहत ई. ओ. यू. की कोई अन्य पात्रता नहीं है। वास्तव में, एफ. टी. पी. के पैरा 6.11 (ए) के तहत, ई. ओ. यू. अतिरिक्त रूप से केवल डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता की पात्रता का लाभ उठाने के लिए पात्र है जैसा कि एफ. टी. पी. के अध्याय 8 में निर्दिष्ट किया गया है, डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता से एक उपयुक्त अस्वीकरण के उत्पादन पर और आवश्यक औपचारिकताओं और शर्तों के अनुपालन के अधीन है। यह ई. ओ. यू. की पात्रता का मामला नहीं होगा, बल्कि केवल डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए ई. ओ. यू. को दिया गया लाभ होगा, जिसे अन्यथा एफ. टी. पी. के पैरा 6.11 (सी) (ii) के संदर्भ में छूट दी गई थी और साथ ही पैरा 6.2 (बी) के तहत शुल्क के भुगतान के बिना उसी का आयात करने की बाध्यता थी।

43. इसके अलावा, यदि डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के साथ-साथ ई. ओ. यू. ने विचाराधीन वस्तुओं के आयात के लिए अपने सेनवैट क्रेडिट का उपयोग किया था, तो धनवापसी संबंधित संस्था के खाते में सेनवैट क्रेडिट की अनुरूप राशि के प्रत्यावर्तन के रूप में होगी। हालांकि, यदि ई. ओ. यू. द्वारा टी. ई. डी. का भुगतान नकद में किया गया है, तो ई. ओ. यू. शुल्क की देरी से वापसी (पैरा 8.5.1) के लिए 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज के साथ लागू एफ. टी. पी. को नकद में लागू करने वाले प्राधिकरण से उस राशि का रिफंड इस शर्त पर प्राप्त कर सकता है कि वह इस तरह के रिफंड/छूट के कारण डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता को वह लाभ नहीं देगा।

44. जहां तक ई. ओ. यू. को वस्तुओं के डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता का संबंध है, वह पैरा 8.3 (सी) के साथ पैरा 8.4 के संदर्भ में टी. ई. डी. का धनवापसी प्राप्त करने का हकदार है। 2 और लागू एफ. टी. पी. का 8.8 प्रतिशत आवश्यक औपचारिकताओं और उसमें प्रदान की गई शर्तों का पालन करने के अधीन है, जो मानित निर्यात का मामला है। यहां तक कि ई. ओ. यू. को वस्तुओं के डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता के मामले में, यदि टी. ई. डी. का भुगतान सेनवैट क्रेडिट का उपयोग करके किया गया है, तो धनवापसी उसके सेनवैट क्रेडिट खाते में समान राशि के प्रत्यावर्तन के रूप में होगी। और यदि डी. टी. ए. आपूर्तिकर्ता द्वारा 1944 के अधिनियम के तहत अधिकारियों को टी. ई. डी. के लिए राशि का नकद भुगतान किया गया है, तो टी. ई. डी. राशि की वापसी प्राधिकरण द्वारा लागू एफ. टी. पी. को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज के साथ नकद में लागू करने के लिए पैरा 8.5 के अनुसार टी. ई. डी. की वापसी में देरी के लिए की जाएगी। 1 .

45. दोनों ही मामलों में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, लागू एफ. टी. पी. के संदर्भ में टी. ई. डी. की वापसी की जिम्मेदारी जिम्मेदार प्राधिकरण की होगी।

विदेशी मुद्रा। इसके अलावा, यह तथ्य कि संबंधित संस्था ने 1944 के अधिनियम के तहत अधिकारियों को धनवापसी के लिए असफल आवेदन किया था और इसके तहत बनाए गए नियम, जो इसे एफ़. टी. पी. के तहत टी. ई. डी. की वापसी प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं करेंगे, जो पारस्परिक रूप से अनन्य उपचार होने के कारण लागू हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि निर्धारिती अधिक लाभकारी व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है।

46. पक्षों के विद्वान वकील ने अन्य निर्णयों का उल्लेख किया था, जिन पर हमारी राय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे सीधे नहीं हैं। इन मामलों में उत्तर दिए गए मुद्दों से निपटने के लिए, विशेष रूप से लागू एफ. टी. पी. के तहत प्रदान की गई व्यवस्था।

47. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्धारिती (ई. ओ. यू.) द्वारा दायर अपील आंशिक रूप से सफल होती है -

उपरोक्त शर्तों और दिल्ली उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विभाग द्वारा दायर अपीलों को भी उपरोक्त शर्तों में आंशिक रूप से अनुमति दी गई है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

लंबित आवेदनों का, यदि कोई हो, तदनुसार निपटारा किया जाता है।

देविका गुजराल

अपी

लों का निपटारा किया गया।